दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

58 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2018–2019

निदेशक मण्डल दिनांक 03.09.2019

श्री आलोक, आई.ए.एस.
अध्यक्ष

डॉ. के. के. पाठक, आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

श्री गौरव गोयल, आई.ए.एस.
निदेशक

श्रीमती उर्मिला राजोरिया, आई.ए.एस.
निदेशक

श्री अजय असवाल
निदेशक

श्री पी.के. जैन
कम्पनी सचिव

वैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स्
चार्टड एकान्टेन्टस्
जयपुर

बैंकर्स

बैंक ऑफ बड़ौदा
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि., जयपुर

पंजीकृत कार्यालय :
दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005 (राज.)
फोन : 0141–2227079 फैक्स – 0141–2227257
वेब साईट : www.industries.rajasthan.gov.in/rajsico, ई–मेल : rajsico@rajasthan.gov.in
CIN : U91110RJ1961SGC001118

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

विषय सूची

01	58वीं वार्षिक साधारण सभा का नोटिस	03–05
02	निदेशकों का प्रतिवेदन	06–21
03	अंकेक्षकों की रिपोर्ट	22–40
04	तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण एवं अनुसूचियां	41–77
05	महालेखाकार कि टिप्पणी	78–79

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय : उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005
फोन : 0141–2227079 फैक्स : 0141–2227257
वेब साइट : www.industries.rajasthan.gov.in/rajsico, E-mail : rajsico@rajasthan.gov.in
CIN : U91110RJ1961SGC001118

58 वीं साधारण सभा की सूचना

नं. आरएसआईसी/को.एफ./2019–20 दिनांक 03.09.2019

सेवा में,
अंशधारियों हेतु

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 58वीं वार्षिक आम सभा शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 को 11.30 बजे मध्यान्ह पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर पर निम्न कार्यों के सम्पादन के लिए आयोजित की जायेगी:

ए. सामान्य कार्य:

1. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरण तथा निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन एवं उन पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, गौर करना एवं अंगीकार करना।
2. श्रीमती उर्मिला राजोरिया (डी.आई.एन. 02903609) के स्थान पर जो क्रमिक रूप से अवकाश ग्रहण कर एवं पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र हैं।
3. वर्ष 2019–20 के लिए वैधानिक अंकेक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करना।

बी. विशिष्ट कार्य:

4. निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पर विचार करना एवं यदि उचित हो तो इसको इसी रूप में या रूपान्तरण कर पारित करना:

‘‘पारित किया जाता है कि श्री गौरव गोयल (डी.आई.एन.06447437) जिन्हें 25 जनवरी 2019 को निदेशक मण्डल द्वारा अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था एवं जिनका कम्पनी अधिनियम 2013 व अर्न्तनियम 161 के अन्तर्गत होने वाली वार्षिक साधारण सभा के प्रारम्भ होने तक कार्यकाल रहेगा एवं जिसके सम्बन्ध में एक सदस्य के माध्यम से कम्पनी अधिनियम 2013 व अर्न्तनियम 160 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हो चुकी है जिसमें श्री गौरव गोयल को कम्पनी के निदेशक के रूप में प्रस्तावित किया गया है, को क्रमिक रूप से सेवानिवृत्त योग्य, कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।’’

5. निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पर विचार करना एवं यदि उचित हो तो इसको इसी रूप में या रूपान्तरण कर पारित करना:

''पारित किया जाता है कि श्री अजय असवाल (डी.आई.एन.08465756) जिन्हें 27 मई, 2019 को निदेशक मण्डल द्वारा अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था एवं जिनका कम्पनी अधिनियम 2013 व अर्न्तनियम 161 के अन्तर्गत होने वाली वार्षिक साधारण सभा के प्रारम्भ होने तक कार्यकाल रहेगा एवं जिसके सम्बन्ध में एक सदस्य के माध्यम से कम्पनी अधिनियम 2013 व अर्न्तनियम 160 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हो चुकी है जिसमें श्री अजय असवाल को कम्पनी के निदेशक के रूप में प्रस्तावित किया गया है, को क्रमिक रूप से सेवानिवृत्त योग्य, कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।''

पंजीकृत कार्यालय
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम,
जयपुर–302005
स्थान: जयपुर
तिथि: 03/09/2019

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
कृते दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज
कॉरपोरेशन लि.

पी. के. जैन
कम्पनी सचिव

टिप्पणियाँ

(1) एक सदस्य जो सभा में उपस्थित होने एवं मत देने के लिए सक्षम है अपने स्थान पर उपस्थित होने एवं मत देने के लिए प्रतिपूर्ति नियुक्त कर सकता है। ऐसे प्रतिपूर्ति को कम्पनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।

(2) प्रतिपूर्ति प्रपत्र को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

(3) कम्पनी अधिनियम 2013 व अर्न्तनियम 102 के अनुसरण में इस वार्षिक साधारण सभा में सम्पादित किये जाने वाले विशिष्ट कार्य का व्याख्यात्मक कथन संलग्न है।

व्याख्यात्मक कथन

(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुसरण में सूचना में दिये गये कार्य के संबंध में सभी भौतिकी तथ्यों को दर्शाते हुए व्याख्यात्मक कथन)

संकल्प संख्या 4 :-

निदेशक मण्डल द्वारा अपनी 352वीं बैठक जो दिनांक 25.01.2019 को सम्पन्न हुई, में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 161 एवं कम्पनी के पार्षद अर्न्तनियम 71(3) के अन्तर्गत श्री गौरव गोयल को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया। धारा 161 के प्रावधानों के अधीन वह आगामी वार्षिक सभा तक कार्य करेंगे। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 160 के अन्तर्गत एक सदस्य का इनको निगम के निदेशक मण्डल में रखने का लिखित में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उनकी योग्यता एवं अनुभव को मध्यनजर रखते हुए, आपके निदेशकों द्वारा विचार किया गया कि उनको कम्पनी में निदेशक नियुक्त करना जो कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रमिक रूप से अवकाश प्राप्त करने योग्य होंगे, कम्पनी हित में होगा।

अत: आपके निदेशक इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुशंषा करते हैं। उक्त निदेशक को उनकी नियुक्ति से सम्बन्धित संकल्प हित रखने वाला या उससे सम्बन्ध रखने वाला माना जायेगा। कोई भी निदेशकगण, मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक एवं उनके संबंधी इस संकल्प में किसी भी प्रकार से हित रखने वाले या उससे संबंध रखने वाले नहीं हैं। निदेशक उपरोक्त संकल्प को सदस्यों द्वारा साधारण संकल्प के रूप में स्वीकार करने की अनुशंषा करते हैं। कोई भी निदेशक अथवा मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक इस संकल्प में हित रखने वाला नहीं है।

संकल्प संख्या – 5

निदेशक मण्डल द्वारा अपनी 354वीं बैठक जो दिनांक 27.05.2019 को सम्पन्न हुई, में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 161 एवं कम्पनी के पार्षद अर्न्तनियम 71(3) के अन्तर्गत श्री अजय असवाल को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया। धारा 161 के प्रावधानों के अधीन वह आगामी वार्षिक सभा तक कार्य करेंगे। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 160 के अन्तर्गत एक सदस्य का इनको निगम के निदेशक मण्डल में रखने का लिखित में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उनकी योग्यता एवं अनुभव को मध्यनजर रखते हुए, आपके निदेशकों द्वारा विचार किया गया कि उनको कम्पनी में निदेशक नियुक्त करना जो कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रमिक रूप से अवकाश प्राप्त करने योग्य होंगे, कम्पनी हित में होगा।

अत: आपके निदेशक इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुशंषा करते हैं। उक्त निदेशक को उनकी नियुक्ति से सम्बन्धित संकल्प हित रखने वाला या उससे सम्बन्ध रखने वाला माना जायेगा। कोई भी निदेशकगण, मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक एवं उनके संबंधी इस संकल्प में किसी भी प्रकार से हित रखने वाले या उससे संबंध रखने वाले नहीं हैं। निदेशक उपरोक्त संकल्प को सदस्यों द्वारा साधारण संकल्प के रूप में स्वीकार करने की अनुशंषा करते हैं। कोई भी निदेशक अथवा मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक इस संकल्प में हित रखने वाला नहीं है।

सदस्यों द्वारा उक्त संकल्प को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में अनुमोदन के लिए निदेशक सलाह देते हैं। कोई भी निदेशक एवं प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक उक्त संकल्प में रूचि नहीं रखते हैं।

पंजीकृत कार्यालय
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम,
जयपुर–302005
स्थान: जयपुर
तिथि: 03/09/2019

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
कृते दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज
कॉरपोरेशन लि.

पी. के. जैन
कम्पनी सचिव

नोट : धारा के अन्तर्गत भारत के सामान्य नियंत्रक और लेखा परीक्षक की टिप्पणियों को उनसे प्राप्त होते ही भेज दिया जाएगा।

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
अंशधारियों हेतु
दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

महानुभाव,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के परिचालन पर 58वीं वार्षिक प्रतिवेदन मय अंकेक्षित लेखा प्रपत्रों एवं उन पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट के प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

(I) पूंजीगत ढांचा एवं वित्तीय परिणाम

कम्पनी की अधिकृत पूंजी रूपये 100 प्रत्येक 8,50,000 लाख इक्विटी शेयर्स के रूप में 850 लाख रू. है। कम्पनी की परिदत्त पूंजी 31 मार्च 2019 को 6,96,40,300/– थी। गत 3 वर्षों के दौरान खरीद, व्यापारवर्त, संचरण स्कन्ध लाभ–हानि का परिणाम निम्नानुसार रहा है:–

(राशि लाखों में)

वर्ष	खरीद	व्यापारवर्त	संवरण स्कन्ध	कर से पूर्व लाभ	कर के पश्चात् लाभ
2016–17	10258.46	11709.84	311.66	+ 291.34	+ 291.34
2017–18	12236.60	13605.80	522.05	+ 476.85	+ 476.85
2018–19	7724.86	9738.36	46.08	– 96.98	– 96.98

इसमें कर्मचारियों के हित में न्यायालय के (27 लाख रूपये) भुगतान करने के निर्णय जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है एवं जो वित्तीय वर्ष के अन्त और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच हुई, के अतिरिक्त कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

(II) लाभांश

आपके निदेशक वित्तीय घाटा होने के कारण वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कोई लाभांश की अनुशंषा नहीं करते हैं।

(III) जमा निक्षेप

कम्पनी द्वारा वर्ष 2018–19 की अवधि में किसी राशि को स्वीकार नहीं किया है।

(IV) संसाधन

आपकी कम्पनी के कार्य संचालन हेतु संसाधन की आपूर्ति मूलत: कारोबार से अर्जित आय से की गई।

(V) ऋण, गांरटी एवं निवेश का विवरण

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया न ही कोई गारण्टी दी गई एवं न ही निवेश किया गया।

(VI) कम्पनी के कार्य एवं प्रगति

(1) कच्चा माल :

वर्ष 2018-19 में कच्चा माल शाखा की प्रगति निम्नानुसार है :-

कार्यकल्प	विक्रय की मात्रा (मैट्रिक टन में)	मूल्य (रू. लाखों में)
लोहा एवं इस्पात	15669.780	7218.05

(2) लघु उद्योग के उत्पादों का विपणन :

राजकीय विभाग एवं उपक्रम राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 32 और आर टी पी पी नियम 30 के प्रावधानों के अनुसार बिना निविदा किये आर एस आई सी के माध्यम से लघु उधोग उत्पादों यथा स्टील फर्नीचर, टेन्ट एवं तिरपाल, पोलिथिन बैग्स तथा कांटेदार तार क्रय कर रहे हैं। इन उत्पादों के अतिरिक्त निगम द्वारा एंगल आयरन पोस्ट की आपूर्ति प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर करवाई जा रही है। वर्ष 2018-19 से उक्त उत्पादों की आपूर्ति रूपये 910.10 लाख की हुई।

(3) निर्यात आधारभूत सेवायें :

कस्टम विभाग की स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त इनलैंड कन्टेनर डिपो, जयपुर एवं जोधपुर से कार्य संचालन किया गया। एयर कार्गो काम्पलेक्स जयपुर के माध्यम से वर्ष 2017-18 में 8570 करोड की तुलना में वर्ष 2018-19 में 5100 करोड़ मूल्य का आयात/निर्यात किया गया।

एयर कार्गों सांगानेर जयपुर से वर्ष 2017-18 में 4.44 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 में 3.20 करोड़ का कारोबार हुआ।

आईसीडी जयपुर का आयात/निर्यात शून्य टीईयू रहा और आई.सी.डी. जोधपुर का आयात/निर्यात 4858 टीईयू का संचालन करके बन्दरगाह के लिए ट्रांसर्पोट किया गया। वर्ष 2918-19 के दौरान आई.सी.डी. जोधपुर एवं जयपुर का क्रमश: शून्य लाख एवं 926 लाख का कारोबार हुआ।

(4) हस्तशिल्प :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्थली एम्पोरियम की कुल बिक्री 614.16 लाख रूपये का कारोबार हुआ। एमएसजी/क्यूएसटी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय भण्डार, अनुमोदन के आधार पर माल गुड्स ऑन अप्रूवल (जीओए) के अन्तर्गत पंजीकृत आपूर्तिकृर्ता से कुल 531.49 लाख रूपये का माल क्रय किया गया।

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान न्यूनतम बिक्री गारंटी (एमएसजी/क्यूएसटी) योजना के तहत बिक्री पर लाईसेंस शुल्क और कमीशन से आय मार्च 2018 को समाप्त वर्ष की आय राशि रू. 157.44 लाख की तुलना में राशि 183.21 लाख रूपये रही।

(5) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2018 (14-27 नवम्बर, 2018) :

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2018 में राज्य का प्रतिनिधित्व निगम द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया। 26 नवम्बर 2018 को राजस्थान दिवस मनाया गया।

(6) प्रोत्साहनात्मक एवं विकास सम्बन्धी गतिनिधियाँ :

निगम द्वारा हस्तशिल्पी एवं दस्तकार कल्याण कोष योजना के अन्तर्गत रू. 100 लाख का कारपोस फण्ड संधारित किया जा रहा है जो कि राज्य सरकार, रीको, आर.एफ.सी. एवं आर.एस.आई.सी. द्वारा क्रमश: 50:30:15:05, के अनुपात में संयुक्त योगदान द्वारा बनाया गया है। इस फण्ड से प्राप्त ब्याज की राशि से पात्र शिल्पियों और दस्तकारों को वित्तीय पोषण प्रदान किया जाता है।

निगम कला एवं शिल्प के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेन्सी के रूप में उत्कृष्ट और योग्य कलाकृतियों को राज्य स्तर एवं योग्यता पुरस्कार वितरण हेतु चयन प्रक्रिया में समन्वयनकर्त्ता है। यह पुरस्कार सामान्यत: राज्य स्तरीय समारोह में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

(VII) निदेशकों का दायित्व विवरण (कम्पनीज एक्ट 2013 की धारा 134)

आपके निदेशकों का कहना है कि :-

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में, लागू लेखा मानकों की अनुपालना की गयी है तथा उल्लेखनीय विचलन की दशा में समुचित स्पष्टीकरण दिये गये हैं।
- निदेशकों द्वारा ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया गया है तथा निरन्तर अपनाया गया है तथा ऐसे समुचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए है तथा अनुमान लगाए गए हैं जिससे वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी की वस्तुस्थिति की तथा इसी अवधि के कम्पनी के लाभ-हानि की सही एवं स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।
- कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों के संधारण हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गयी है ताकि कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा की जा सके एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोका एवं उजागर किया जा सके।
- निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखे चल संस्थान सिद्धान्त के आधार पर तैयार किये गये है।
- निदेशकों द्वारा समस्त लागू विधियों के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियाँ नियोजित की गई है तथा ये प्रणालियाँ पर्याप्त है एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

(VIII) मण्डल की उप समितियां तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक आकृति

(1) अंकेक्षण समिति

वर्ष 2018-19 की अवधि में समिति की एक बैठक दिनांक 27.08.2018 को सम्पन्न हुई। कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप कम्पनी द्वारा अंकेक्षण समिति का गठन किया गया है जो लेखांकन के विभिन्न पहलूओं पर ध्यान देगी एवं वार्षिक लेखा के रख-रखाव की समीक्षा करे :

1. डॉ. के.के. पाठक आयुक्त उधोग	-	निदेशक
2. श्री अजय असवाल संयुक्त सचिव (वित्त)	-	निदेशक

3. श्रीमती उर्मिला राजोरिया – निदेशक
प्रबन्ध निदेशक, आरएफसी

वित्तीय सलाहकार/सीएओ – सदस्य सचिव
कम्पनी सचिव – विशेष आमंत्रित

(2) संस्था की संरचना

दिनांक 31 मार्च 2019 को निगम में कर्मचारियों की कुल संख्या 95 थी जिसमें 4 अधिकारी राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर हैं अतएंव निगम के 24 कर्मचारी अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति/विपरीत प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये हैं।

(3) आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

कम्पनी के आकार को देखते हुए कम्पनी में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है।

(4) कर्मचारियों से संबंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रबंधन और कर्मचारियों के संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे।

(5) भारतीय कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 134 के अन्तर्गत कर्मचारियों का विवरण :

कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 134 के अन्तर्गत सूचना शून्य है।

(6) 2018-19 के दौरान संचालक मण्डल की कुल चार बैठकें आयोजित की गई जो निम्नानुसार हैं:-

बोर्ड मिटिंग संख्या	दिनांक	निदेशकों की उपस्थिति
349	28.06.18	3
350	27.08.18	3
351	28.09.18	5
352	25.01.19	3
353	22.03.19	4

(7) कम्पनी एक्ट 2013 की धारा 92(3) के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी का सारांश फार्म नम्बर एम.जी.टी.-9 संलग्न हैं।

(IX) संचालक मण्डल नियम 1990 के अन्तर्गत निदेशकों के प्रतिवेदन में दी जाने वाली सूचना का विवरण :

(1) तकनीक संविलयन एवं ऊर्जा संरक्षण:–

व्यापार प्रवृति के दृष्टिगत लागू नहीं है।

(2) विदेशी मुद्रा की आय तथा व्यय

विदेशी मुद्रा व्यय शून्य

विदेशी मुद्रा का अर्जन: रू. 8.43 लाख (सामान के विक्रय से)

(X) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत घोषणा

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) गठित की है।

यौन उत्पीड़न की प्राप्त शिकायतों की संख्या : शून्य

(XI) निदेशक मण्डल

क्र.सं.	नाम व पद	कब से	कब तक
1.	श्री मेघराज लोहिया, अध्यक्ष	22.01.16	15.01.19
2.	श्री आलोक, अध्यक्ष	11.03.19	
3.	श्री महेन्द्र कुमार खुराना, निदेशक	15.03.17	15.01.19
4.	श्री सुबोध अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक	20.12.18	28.02.19
5.	श्रीमती शकुन्तला सिंह, प्रबन्ध निदेशक	28.02.19	31.07.19
6.	श्री के.के. पाठक, निदेशक	15.01.19	
7.	श्री के.के. पाठक, प्रबन्ध निदेशक	01.07.19	
8.	श्री जगवीर सिंह, अतिरिक्त निदेशक	26.03.18	27.05.19
9.	श्री कृष्ण कुणाल, आईएएस, निदेशक	13.07.18	05.09.18
10.	श्रीमती उर्मिला राजोरिया, निदेशक	27.08.18	
11.	श्री गौरव गोयल, अतिरिक्त निदेशक	25.01.19	
12.	श्री अजय असवाल, अतिरिक्त निदेशक	27.05.19	

(XII) (1) वैधानिक अंकेक्षण/अंकेक्षण रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए मैसर्स बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, जयपुर को कम्पनी का वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया। निदेशक मण्डल अंकेक्षण के कार्य को अंकेक्षक द्वारा यथा समय सम्पन्न करने के लिए प्रशंसा के साथ अभिलिखित करते हैं। अंकेक्षकों की टिप्पणी पर प्रबन्धन का प्रतिउत्तर इस रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट में दिया गया है।

(2) आन्तरिक अंकेक्षण :

निगम की आन्तरिक अंकेक्षण शाखा समय–समय पर कम्पनी का अंकेक्षण करती है।

(XIII) आभार

कम्पनी का निदेशक मण्डल राजकीय विभागों, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) नई दिल्ली तथा अन्य सह संस्थान के प्रति उनके द्वारा प्रदत्त सद्भावनापूर्ण सहायता और सहयोग के प्रति आभार अभिलिखित करता है। आपके निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, कम्पनी रजिस्ट्रार राजस्थान और वैधानिक अंकेक्षक मैसर्स बाफना एण्ड एसोसिऐट्स चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट जयपुर के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सलाह के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक मण्डल निगम के सभी स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग के लिए भी सराहना अभिव्यक्त करता है।

कृते निदेशक मण्डल

आलोक
अध्यक्ष
डीआईएन : 02600247

स्थान : जयपुर
दिनांक : 30.08.2019

फार्म नं. एम.जी.टी. – 9

31.03.2019 तक के समाप्त वित्तीय वर्ष का संक्षेप वार्षिक रिर्टन

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) एवं कम्पनी (प्रबन्ध और प्रशासन नियम, 2014)

के नियम 12 (1) के सम्बन्ध में

(I) पंजीयन एवं अन्य विवरण

(1)	सी.आई.एन.	यू 91110 आर.जे.1961 एस.जी.सी.001118
(2)	पंजीयन की तारीख	03.06.1961
(3)	कम्पनी का नाम	दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
(4)	कम्पनी की श्रेणी/उपश्रेणी	सरकारी कम्पनी
(5)	रजिस्टर्ड कार्यालय का पता व सम्पर्क का विवरण	उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज.) भारत 302005 फोन:0141–2227267, फैक्स:0141–5115766
(6)	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	नहीं
(7)	पंजीयक एवं अन्तरण एजेन्ट यदि कोई है, का नाम, पता तथा सम्पर्क विवरण	लागू नहीं

(II) कम्पनी की प्रमुख व्यवसायिक गतिविधियां :

उन सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाना चाहिए जो कम्पनी के कुल व्यवसाय में 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हो।

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/ सेवाओं का नाम एवं ब्यौरा	उत्पाद/ सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल व्यवसाय का प्रतिशत
1.	कच्चे माल का वितरण		71.12
2.	निर्यात आधारभूत सेवायें		12.80

(III) धारक, अनुषंगी एवं सहायक कम्पनी का विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम व पता	सीआईएन/ जीएलएन	धारक/अनुषंगी/ सहायक	अंशधारिता का प्रतिशत	लागू धारा
1.			शून्य		

(IV) अंशधारिता का स्वरूप (कुल पूंजी में समता अंश पूंजी का %)

(i) केटेगिरी वाईज अंशधारिता

अंशधारकों की श्रेणी		वर्षारम्भ में धरित अंशों की संख्या				वर्षान्त पर धारित अंशों की संख्या				वर्ष के दौरान बदलाव प्रतिशत
		डीमेट	फिजीकल	योग	कुल अंशों का %	डीमेट	फिजीकल	योग	कुल अंशों का %	
(ए)	प्रवर्तक									
(1)	भारतीय									
(ए)	व्यक्ति/एचयूएफ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(बी)	केन्द्र सरकार	–	27000	27000	3.88		27000	27000	3.88	–
(सी)	राज्य सरकार एवं इसके नामिति	–	664387	664387	95.40		664387	664387	95.40	–
(डी)	निगमित निकाय	–	5000	5000	0.72		5000	5000	0.72	–
(ई)	वित्तीय संस्थान/बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(एफ)	अन्य	–	16	16			16	16	–	–
उप योग ए (1)										
(2)	विदेशी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ए)	व्यक्ति (एनआरआई/ विदेशी व्यक्ति)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(बी)	निगमित निकाय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(सी)	संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(डी)	योग्य विदेशी निवेशक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ई)	अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	उप योग ए (2)	–	–		–	–	–	–	–	–
योग ए = ए(1) + ए(2)				शून्य						
(बी)	सार्वजनिक अंशधारिता	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(1)	संस्थागत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ए)	साझाकोष	–	–	शून्य	–	–	–	–	–	–
(बी)	वित्तीय संस्थान/बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(सी)	केन्द्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(डी)	राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ई)	जोखिम पूंजी कोष	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(एफ)	बीमा कम्पनियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(जी)	विदेशी संस्थागत निवेशक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(एच)	विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(आई)	अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप योग बी (1)		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	गैर–संस्थागत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ए)	निगमित निकाय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(बी)	व्यक्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(1)	व्यक्ति जो 1 लाख रूपये तक की नोमिनल अंश पूंजी धारित करते है	–	–	शून्य	–	–	–	–	–	–
(2)	व्यक्ति जो 1 लाख रूपये से अधिक की नोमिनल अंश पूंजी धारित करते है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(सी)	अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	क्लियरिंग मेम्बर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	एनआरआई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(डी)	योग्य विदेशी निवेशक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	उप योग बी (2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल सार्वजनिक धारिता योग बी = बी(1) + बी(2)									
योग (ए + बी)										
(सी)	जीडीआर/एडीआर के विरूद्ध कस्टोडियन द्वारा धारित अंश	–	–	शून्य	–	–	–	–	–	–
कुल योग (ए + बी + सी)			696403	696403	100		696403	696403	100	

(ii) प्रवर्तकों की अंशधारिता:-

क्र.सं.	अंशधारक का नाम	वर्षारम्भ पर अंशधारिता			वर्षान्त पर अंशधारिता			वर्ष के दौरान अंशधारिता में बदलाव प्रतिशत
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों में से गिरवी/रहन रखे अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों में से गिरवी/रहन रखे अंशों का प्रतिशत	
1.		अंशधारकों की सूची संलग्न						
कुल								

(iii) प्रवर्तकों की अंशधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें यदि कोई बदलाव नहीं है) – कोई बदलाव नहीं

क्र.सं.		वर्षारम्भ पर अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्षारम्भ में				
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की अंशधारिता में वृद्धि/कमी का तिथि वार विवरण कारण सहित (यथा आवंटन/ अन्तरण/ बोनस/श्रम साध्य अंश आदि)		शून्य		
	वर्षान्त पर				

(iv) प्रमुख दस अंशधारकों की अंशधारिता का स्वरूप (निदेशक, प्रवर्तक एवं जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अलावा) :

क्र.सं.		वर्षारम्भ पर अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
	प्रमुख 10 अंशधारकों में से प्रत्येक के लिए	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्षारम्भ पर				
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की अंशधारिता में वृद्धि/कमी का तिथि वार विवरण कारण सहित (यथाआवंटन/अन्तरण/बोनस/श्रम साध्य अंश आदि)	संलग्न सूची अनुसार			
	वर्षान्त पर (या विभक्ति के दिन यदि वर्ष में विभाजन हुआ है तो)				

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों की अंशधारिता:

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रत्येक प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक की अंशधारिता	वर्षारम्भ पर अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्षारम्भ पर	–	–	–	–
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की अंशधारिता में वृद्धि/कमी का तिथि वार विवरण कारण सहित (यथा आवंटन/अन्तरण/बोनस/ श्रम साध्य अंश आदि)	शून्य			
	वर्षान्त पर	–	–	–	–

(vi) ऋण भार

कम्पनी पर ऋण भार मय बकाया/उपार्जित ब्याज सहित किन्तु भुगतान देय नहीं (रूपये लाखों में)

विवरण	सुरक्षित ऋण जमाओं के अतिरिक्त	असुरक्षित ऋण	जमायें	कुल ऋण भार
वर्षारम्भ पर ऋण भार				
(1) मूलधन		1568.77		
(2) देय ब्याज लेकिन चुकाया नहीं गया		186.25		
(3) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं		4.82		
कुल (1+2+3)		1759.84		
वित्तीय वर्ष में ऋण भार में परिवर्तन				
● अभिवृद्धि		+22.66		
● घटत		–927.00		
कुल परिवर्तन		–904.34		
वर्षान्त पर ऋण भार				
(1) मूल धन		641.77		
(2) देय ब्याज लेकिन चुकाया नहीं गया		208.91		
(3) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं		4.82		
कुल (1+2+3)		855.50		

(vii) निदेशकों एवं मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

ए. प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/या प्रबन्धक का पारिश्रमिक

(राशि रू. में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबन्ध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक/प्रबन्धक का नाम			कुल राशि (रू.)
1. (ए)	सकल वेतन आयकर अधिनियम की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	1. श्री मेघराज लोहिया	अध्यक्ष	880802	3577534
(बी)	आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलाभों का मूल्य	2. श्री गिरीराज सिंह	प्रबन्ध निदेशक	2458396	
(सी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदले लाभ	3. श्रीमती शकुन्तला सिंह	प्रबन्ध निदेशक	238336	
2.	स्टॉक ऑप्शन				
3.	श्रम साध्य अंश				
4.	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, स्पष्ट करें				
5.	अन्य कोई हो तो उल्लेख करें				
6.	योग (ए)				
	अधिनियम के अनुसार सीमा				

बी. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक:

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम	कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशकगण – मण्डल/मण्डल की कमिटी की बैठकों में उपस्थित होने का शुल्क		
	– कमीशन		
	– अन्य, कृपया स्पष्ट करें		
	योग (1)		
	अन्य गैर अधिशाषी निदेशकगण – मण्डल/मण्डल की कमिटी की बैठकों में उपस्थित होने का शुल्क – कमीशन – अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शुन्य	
	कुल		
	योग (बी) =(1+2)		
	कुल प्रबन्धकीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के अनुसार कुल सीमा		

सी. प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्धक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(राशि रू. में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		सी.ए.ओ.	कम्पनी सचिव	सी.एफ.ओ./ सी.ई.ओ.	योग
1.	सकल वेतन				
	(ए) आयकर अधिनियम की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन		538125	538909	1077034
	(बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलाभों का मूल्य				
	(सी) आयकर अधिनियम की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदले लाभ				
2.	स्टॉक ऑप्शन				
3.	श्रम साध्य अंश				
4.	कमीशन – लाभ पर प्रतिशत – अन्य, विशिष्ठ				
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें				
6.	योग				

(viii) शास्ति/दण्ड/अवहेलनाओं की कम्पाउंडिंग

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारित शास्ति/दण्ड/ कम्पाउंडिंग शुल्क का विवरण	अथोरिटी आरडी/ एनसी एलटी/कोर्ट	दायर अपील यदि कोई है (विवरण दें)
ए. कम्पनी					
शास्ति					
दण्ड					
कम्पाउन्डिंग					
बी. निदेशकगण					
शास्ति					
दण्ड			शून्य		
कम्पाउंडिंग					
सी. अन्य दोषी अधिकारी					
शास्ति					
दण्ड					
कम्पाउंडिंग					

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन : 0141-2227079 फैक्स : 0141-2227257

वेब साइट : www.industries.rajasthan.gov.in/rajsico, E-mail : rajsico@rajasthan.gov.in

CIN : U91110RJ1961SGC001118

अंशधारकों की सूची

58 ए.जी.एम.

		अंशों की संख्या	राशि (रू.)
1.	महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के माध्यम से विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, वेस्ट ब्लैक 7, आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली	27000	27,00,000
2.	महामहिम राज्यपाल, राजस्थान सरकार के माध्यम से शासन उप सचिव वित्त (व्यय IV एण्ड पीआई) राजस्थान, जयपुर	664387	6,64,38,700
3.	राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि., जयपुर	5000	5,00,000
4.	श्रीमती उषा प्रकाश, 3-ए-सी, जयसिंह हाईवे, सुन्दर पथ, बनीपार्क, जयपुर	1	100
5.	श्री दीपक खण्डेलवाल, सी-18, चौमूं हाऊस, सी-स्कीम, जयपुर	1	100
6.	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चाडावत, सी-194, जगदीश मार्ग, लक्ष्मी निवास, बनीपार्क, जयपुर	1	100
7.	श्री के.एल. जैन, उनियारा गार्डन, मोती डूंगरी रोड़, जयपुर	1	100
8.	श्री जय किशन शर्मा, 24-लाजपत नगर स्कीम नं. 2 अलवर	1	100
9.	श्री गोपाल लाल गुप्ता, पता राजस्थान इलेक्ट्रिक इण्डस्ट्रीज, सी-2, इण्डस्ट्रीयल स्टेट, बाईस गोदाम, जयपुर	1	100
10.	श्री शाह सुरेन्द्र कुमार, कल्याण भवन, शाह बिल्डिंग चौड़ा रास्ता, जयपुर	2	200
11.	श्री श्रीभान सिंह, अटल बंध, भरतपुर	1	100
12.	डॉ. जी.आर. तोषनीवाल, कुन्दन नगर, अजमेर	1	100
13.	श्री जग मोहन दास मुदड़ा, नत्थूसर गेट, बीकानेर	1	100
14.	श्री जगमोहन लाल ताम्बी, मैसर्स जे.जे. फॉर्मस् प्रा. लि., ओखला इण्डस्ट्रीयल स्टेट, न्यू दिल्ली	1	100
15.	श्री अभय कुमार जैन, 11-चौधरी भवन, सरदारपुरा, जोधपुर	1	100
16.	श्री धर्मचन्द चोपड़ा, मार्फत मैसर्स राजस्थान फ्रुट प्रिर्जव प्रा.लि., सुरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर	1	100
17.	श्री आनन्द सिंह कच्छावा, 2-डी- फोर्ट रोड, जोधपुर	1	100
18.	सरदार प्यारे सिंह, 3-नानकपुरा, उदयपुर	1	100
	कुल	696403	6,96,40,300
	टिप्पणी : चार अधिकारिक निदेशकों के 100 इक्विटी शेयर नाम पर पांच शेयर राजस्थान के गवर्नर द्वारा शेयर होल्डिंग से नामांकित व्यक्ति के रूप में शेयर धारण कर रहे हैं।		
	1. डॉ. के.के. पाठक, आई.ए.एस., प्रबन्ध निदेशक, राजसिको, जयपुर	2	200
	2. श्री के.के. पाठक, आई.ए.एस., उद्योग आयुक्त राजस्थान सरकार, उद्योग भवन, जयपुर	1	100
	3. श्री गौरव गोयल, आई.ए.एस., आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, उद्योग भवन, जयपुर	1	100
	4. श्री अजय असवाल, आर.ए.एस. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-।।) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर	1	100

पी. के. जैन

कम्पनी सचिव

प्रतिलिपि :

नं. आरएसआईसी/को.एफ./2018-19/3966-92 दिनांक 03.09.2019

1. आरएसआईसी के समस्त निदेशक
2. सीएओ, आरएसआईसी
3. ओएसडी, आरएसआईसी
4. कंसल्टेन्ट, आरएसआईसी, जयपुर
5. मैसर्स बाफना एण्ड एसोसियेट्स चाटेर्ट एकाउन्टेन्टस्, 101 अनुकम्पा मेंशन, प्रथम, एम.आई. रोड़, जयपुर

कम्पनी सचिव

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. के अंशधारिकों के दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर निदेशकों के स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट

अन्य विधि और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट बिन्दू सं. – (ए) (बी) (सी) (डी) (इ) (एफ) (जी) (एच) (आई) कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं

परिशिष्ट ''1'' दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन के सन्दर्भ में।

1. नोट कर लिया है, तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के बाद प्रावधान किया जाएगा।
2. नोट कर लिया है, तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के बाद प्रावधान किया जाएगा।
3. नोट कर लिया है, ट्रंस –1 को उसे भरने के लिए उपलब्ध अवसर पर दायर किया जाएगा
4. नोट कर लिया है,
5. नोट कर लिया है,
6. नोट कर लिया है,
7. नोट कर लिया है,
8. नोट कर लिया है,
9. नोट कर लिया है,
10. नोट कर लिया है,
11. नोट कर लिया है,
12. नोट कर लिया है, वर्तमान वर्ष के दौरान आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।
13. नोट कर लिया है, आईटीपीओ से पुष्टि प्राप्त की जाएगी।
14. नोट कर लिया है,
15. नोट कर लिया है,
16. नोट कर लिया है, अगले साल उचित वर्गीकरण किया जाएगा।
17. भविष्य के लिए नोट कर लिया है।
18. नोट कर लिया है।
19. भविष्य के लिए नोट कर लिया है।
20. नोट कर लिया है।
21. नोट कर लिया है।

परिशिष्ट –''2'' दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. के लेखों के अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित विशिष्ठ महत्व के संदर्भ में

1. नोट कर लिया है।
2. नोट कर लिया है।
3. नोट कर लिया है।

परिशिष्ट – ''3'' दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. के लेखों के अंकेक्षण प्रतिवेदन में संदर्भित कारो 2016

1. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
2. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
3. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
4. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
5. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
6. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
7. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
8. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
9. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
10. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
11. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
12. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
13. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
14. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
15. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं
16. कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं

परिशिष्ट–''4'' एवं ''5'' दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. के अंकेक्षण प्रतिवेदन के वैधानिक अंकेक्षणों की टिप्पणी

वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ – नोट कर ली है।

के.के. पाठक	**उर्मिला राजोरिया**
प्रबन्ध निदेशक	**निदेशक**
डीआईएन 08328847	डीआईएन 2903609

पंजीकृत कार्यालय : 101, अनुकम्पा मेन्शन–प्रथम,
एम.आई.रोड, जयपुर–01
(का.) 0141–2373983, 4901940
ई–मेल : प्रेमचन्दबाफनाजीमेल.कॉम

बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण,

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट
क्वालीफाईड ऑपिनियन

हमने दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. जयपुर (निगम) के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है जिनमें दिनांक 31 मार्च 2019 का तुलन–पत्र, इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण एवं नगद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचनाऐं सम्मिलित हैं, का अंकेक्षण कर लिया है।

हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी क्वालीफाईड ऑपिनियन के आधार पर नीचे दिये गये पैराग्राफ में उल्लेखित मामलों के संभव प्रभाव के अतिरिक्त, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, अधिनियम में चाही गई सूचना आवश्यक विधि से उपलब्ध कराते है एवं जो विश्वसनीय और निष्पक्ष दृष्टिकोण दें जो अधिनियम की धारा 133 सहपठित कम्पनीज (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों की अनुपालना करें जिसमें लेखा मानक–28 (सम्पत्ति की हानि) एवं लेखा मानक–29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक सम्पत्ति) अत: अन्य लेखांकन सिद्धान्त जो भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाते हैं और जो कम्पनी की 31.03.2019 की स्थिति दर्शाते हैं एवं इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए हानि और नगदी प्रवाह दर्शाते हैं।

हमने कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डों द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देश के अनुसार अंकेक्षण किया। हमारा अंकेक्षण का दायित्व इन मानदण्डों के अनुसार अपनी रिपोर्ट के कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों के भाग में दर्शाया गया है।

हम भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंटस् संस्थान (दि आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं एवं कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं इस पर आधारित नियमों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदनों के अंकेक्षण के लिए नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर तथा आई.सी.ए.आई. आचार संहिता की आवश्यकताओं के अनुरूप हमने लेखा परीक्षण किया। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त हैं तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर हमारी अंकेक्षण राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त हैं।

अंकेक्षण राय का आधार

अंकेक्षण रिपोर्ट के परिशिष्ट '1' में दर्शाये गये मामलों में कम्पनी द्वारा उल्लेख प्रदान नहीं किया गया है। हम इस परिशिष्ट में दर्शाये गये मामलों में पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। तदानुसार हम निर्धारित करने में असमर्थ रहे कि क्या वित्तीय प्रतिवेदनों में कोई समायोजन आवश्यक है।

मामलों का अवधारण

हम अंकेक्षण रिपोर्ट के परिशिष्ट '2' पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इन मामलों में हमारी अंकेक्षण राय नहीं है।

वित्तीय प्रतिवेदनों के अतिरिक्त सूचना एवं उस पर अंकेक्षण रिपोर्ट

कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में सम्मिलित की जाने वाली सूचना जिसके मण्डल की रिपोर्ट के परिशिष्ट, व्यापारिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, प्रबन्धन विचार–विमर्श, शेयरधारकों की सूचना एवं विश्लेषण रिपोर्टस् सम्मिलित हैं परन्तु इनमें वित्तीय प्रतिवेदन एवं उन पर हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। हमारी वित्तीय प्रतिवेदनों पर राय में अन्य सूचना सम्मिलित नहीं है एवं न ही हम उन पर किसी प्रकार का आश्वासन या निष्कर्ष प्रदान करते हैं।

वित्तीय प्रतिवेदनों के अंकेक्षण के संदर्भ में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढने की है, एवं ऐसा करते समय विचार करना की उपलब्ध करवाई गई अन्य सूचना, वित्तीय प्रतिवेदनों से वस्तुत: भिन्न अथवा हमारे अंकेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी अथवा अन्यथा, अशुद्ध वर्णन प्रतीत होना तो नहीं।

हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर अगर ऐसा निष्कर्ष निकलता कि अन्य सूचना में अशुद्ध वर्णन है, तो उसे रिपोर्ट करना हमारा दायित्व है। हमारे द्वारा इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है।

स्टैंन्डअलोन वित्तीय प्रतिवेदनों पर प्रबन्धकीय उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) के अन्तर्गत कम्पनी के निदेशक मण्डल इस धारा में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी हैं। जिसमें इस स्टैंन्डअलोन वित्तीय प्रतिवेदनों के तैयार करने जिसमें कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय उपलब्धि एवं नगदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दे सके एवं जो लेखांकन सिद्धान्त भारत में आमतौर पर स्वीकार किये जाते हैं तथा अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों की अनुपालना करें।

इस उत्तरदायित्व में शामिल है कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानोंनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का संधारण करना, समुचित लेखा नीतियों का चयन करना एवं लागू करना, उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना तथा अनुमान लगाना तथा लेखा अभिलेखों की सम्पूर्णता एवं सत्यता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, क्रियान्वयन एवं अनुपालना करना जिससे वित्तीय प्रपत्र सही एवं स्पष्ट स्थिति दर्शाते हुए एवं धोखाधड़ी या त्रुटिवश महत्वपूर्ण मिथ्या प्रकटीकरण से मुक्त तैयार एवं प्रस्तुत किये जा सके।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, प्रबन्धन कम्पनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है कि कम्पनी प्रगतिशील रहे एवं इस दिशा में कार्यशील होने के लिए प्रकटीकरण जैसाकि लागू होता है संबंधित मामलों और लेखांकन के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबन्धन या तो कम्पनी को समाप्त करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। निदेशक मण्डल अपनी वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण पर एक अंकेक्षक की रिपोर्ट जिसमें हमारी राय सम्मिलित है, क्या सम्पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त है, चाहे धोखाधडी या त्रुटि के कारण से हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह निश्चित नहीं करता कि लेखा मानकों के अनुरूप किया गया अंकेक्षण महत्वपूर्ण गलत कथन के विद्यमान होते हुए पता लागने की लिए पर्याप्त है। धोखाधडी या त्रुटि से गलतियां उत्पन्न हो सकती हैं। व्यक्तिगत रूप से या सामूहित रूप से की गई त्रुटि महत्वपूर्ण हो सकती है। अत: इस मिथ्याकथन के आधार पर लिये गये आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

लेखा मानकों के आधार पर किये गये अंकेक्षण में यह भी सम्मिलित है कि हम व्यावसायिक मूल्यांकन एवं व्यवसायिक संशय को अंकेक्षण के दौरान बनाये रखते हैं। हम इसके साथ ही :

- वित्तीय प्रतिवेदनों में महत्वपूर्ण गलत कथन से उत्पन्न जोखिम का निर्धारण एवं आंकलन करना, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो, ऐसे जोखिम को समझने के लिए अंकेक्षण की संरचना एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण एवं हमारी राय प्रकट करने के लिए प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य जो पर्याप्त एवं उपयुक्त हों, धोखे के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलत कथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखे में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत कथन या अतिरिक्त नियंत्रण की अवहेलना करना।
- अंकेक्षण की प्रक्रियाओं का आकार बनाने के लिए जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो, अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया का विवरण प्राप्त करना। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (1) के अन्तर्गत राय प्रकट करने का भी हमारा दायित्व है कि क्या कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया विद्यमान है एवं उनका संचालन प्रभावी रूप से चल रहा हैं।
- प्रयुक्त वित्तीय नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन एवं लेखा अनुमानों की तर्कसंगिता तथा प्रबन्धन द्वारा किया गया संबंधित प्रकटीकरण।
- प्रबन्धन द्वारा लेखांकन के 'गोइंग कन्सरन' के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एवं अंकेक्षण के दौरान प्राप्त किये गये साक्ष्य के आधार पर कि क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण अस्थिरता की स्थिति विद्यमान है जो किसी घटना अथवा परिस्थिति पर आधारित हो जो कम्पनी की निरन्तरता की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाले। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अनिश्चितता की स्थिति विद्यमान है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण का अपने अंकेक्षण में ध्यान आकर्षिक करना आवश्यक है, अथवा यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो हमारी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षण की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कम्पनी की निरन्तरता पर प्रभाव डाल सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन एवं प्रकटीकरण तथा क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस प्रकार से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम उन लोगों के साथ संवाद करते हैं जो प्रबन्धन की जिम्मेदारी रखते हैं जिसमें, अन्य विषयों के अतिरिक्त, अंकेक्षण की व्यापकता एवं समय-निर्धारण, अंकेक्षण के महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं ऐसी किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित जो अंकेक्षण के दौरान आंतरिक नियंत्रण में चिन्हित की गई हो।

हम प्रबन्धन की जिम्मेदारी रखने वालों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के साथ प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। अत: उन सभी संबंधित व अन्य प्रकरणों में, हमारी स्वतंत्रता पर और जहां लागू हो, वहां न्यायोचित रूप से संबंधित सुरक्षा उपायों पर विचार किया जा सकता है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 11 के अन्तर्गत भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज (अंकेक्षण रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) की मांग के अनुसार, हम आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर परिशिष्ट '3' के रूप में जहां तक प्रभावित है, प्रस्तुत कर रहे हैं।

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जारी किये गये निर्देशानुसार प्रतिवेदन परिशिष्ट ''4'' के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

   (ए) हमने समस्त सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगे एवं नीचे दी गई क्वालीफाईड ऑपिनियन के पैरा के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, प्राप्त कर लिये हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे।

   (बी) हमारी राय में कम्पनी ने, ऊपर दी गई क्वालीफाईड ऑपिनियन के पैरा के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें संधारित की है, जैसाकि उन पुस्तकों की हमारे द्वारा जांच से प्रकट होता है।

   (सी) इस प्रतिवेदन में संदर्भित तुलन–पत्र, लाभ–हानि प्रपत्र तथा नगद प्रवाह प्रपत्र लेखा पुस्तकों से मेल खाता है।

   (डी) हमारी राय में कम्पनी द्वारा ऊपर दी गई क्वालीफाईड ऑपिनियन के पैरा के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंन्डअलोन वित्तीय प्रपत्र अधिनियम की धारा 133 सहपठित कम्पनी (लेखा) 2014 के नियम 7 जिनमें लेखा मानक अंकित हैं, लेखा मानक 28 (सम्पत्ति की क्षति) एवं लेखा मानक –29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक सम्पत्ति) की अनुपालना की हैं।

   (ई) हमारी राय में कम्पनी के ऊपर दी गई क्वालीफाईड ऑपिनियन के पैरा के लिए आधार में वर्णित मामलों से कम्पनी की कार्यशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

   (एफ) यह सरकारी कम्पनी होने के कारण अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधानों की अनुपालना से मुक्त है।

   (जी) अभिलेखों का संधारण और अन्य मामलों से संबंधित क्षमता उपरोक्त क्वालीफाईड ऑपिनियन के लिए आधार में दिये गये विवरण अनुसार है।

   (एच) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर एवं इस प्रकार के नियंत्रण की परिचालन पर प्रभावशीलता के संबंध में हमारी पृथक से रिपोर्ट परिशिष्ट '5' का संदर्भ लें।

(आई) कम्पनीज़ (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामले हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार इस प्रकार हैं :

(i) कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लम्बित विवादित प्रकरणों के वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों को घोषित किया है। टिप्पणी वित्तीय विवरण में आकस्मिक देयताएं के अन्तर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में नोट नं. (बी) में दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों द्वारा आर.एस.आई.सी. के विरूद्ध शुरू किये गये लम्बित वाद वित्तीय विवरण में घोषित नहीं किये गये हैं।

(ii) कम्पनी में कोई दीर्घावधि अनुबंध मय वायदा अनुबंधों के नहीं है जिससे कम्पनी को भविष्य में भारी हानि होने की संभावनाएं हों।

(iii) कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण कोष में अन्तरित करने योग्य कोई राशि नहीं थी।

कृते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउन्टेंटस्

फर्म पंजीकरण संख्या : 001408सी

सिद्धार्थ बाफना

साझेदार

सदस्यता संख्या : 405227

यूडीआईएस: 19405227एएएबी52305

स्थान : जयपुर

दिनांक : 29.08.2019

परिशिष्ट – '1' स्वतंत्र अंकेक्षणों का प्रतिवेदन

क्वालीफीकेशन ऑपिनियन का आधार

1. राज्य सरकार से कच्चे माल की सहायता योजना के लिए 48.54 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई जो रिजर्व और सरप्लस–रिवाल्विंग फण्ड के मद के अन्तर्गत प्रदर्शित है। इस राशि को वित्तीय वर्ष 1991–92 से इस योजना के पांच साल की समाप्ति के बाद सरकार को लौटाया जाना था। तदनुसार, यह राशि वर्ष 1996–97 में लौटाई जाने योग्य थी। कम्पनी द्वारा इस राशि को देनदारियों के बजाय आरक्षित एवं अधिशेष में दर्शाया गया है। तदनुसार आरक्षित एवं सरप्लस/शेयरधारकों के कोष में 48.54 लाख रूपये कम होंगे एवं चल देयताएं में 48.54 लाख रूपये की वृद्धि होंगी।

2. कोयले के क्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2008–09/2009–10 में मैसर्स एस.ई.सी.एल. को दी गई अग्रिम राशि में से 5.04 लाख रूपये शेष है जो अभी भी मैसर्स एस.ई.सी.एल. के पास हैं। कम्पनी इस राशि को व्यापार स्वीकार योग्य में दर्शाया गया है। कम्पनी ने इसकी वसूली के लिए न तो कोई ठोस प्रयास किया है और ना ही 2009–10 से इसका शेष पुष्टिकरण किया है। इसलिए हमारी राय में इस राशि की वसूली संदिग्ध है। तदनुसार, व्यापार स्वीकार योग्य एवं शेयरधारकों के कोष में 5.04 लाख रूपये की कमी होगी एवं 5.04 लाख रूपये की हानि में वृद्धि होगी।

3. कम्पनी द्वारा माल एवं सेवाकर के अन्तर्गत सेवाकर लेनदारी एवं के के सी तथा एस बी सी के मद में 224656 रूपये की लेनदारी की मांग नहीं की है एवं इस राशि को निरन्तर लघु सावधि ऋण एवं अग्रिम के मद में दर्शाया जा रहा है। क्योंकि कम्पनी द्वारा ट्रांस–1 दाखिल नहीं किया है इसलिए यह मांग निरस्त हो चुकी है एवं इसे लाभ एवं हानि प्रपत्र में दर्शाया जायेगा। तदनुसार लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम एवं शेयरधारकों के कोष से 2.24 लाख रूपये घटाये जायेंगे एवं इस वर्ष की हानि में 2.24 लाख रूपये की वृद्धि होगी।

4. आकस्मिक देयताओं के नोट संख्या (बी) (iii) जो कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों का महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं नोट का भाग है, में 314.69 लाख रूपये की राशि जो मूल एवं ब्याज की है एवं देय है, को दर्शाया नहीं गया है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के पराधीन है। हम निगम के वित्तीय प्रतिवेदनों पर इसके प्रभाव के सम्बन्ध में कोई राय प्रकट करने में असमर्थ हैं।

5. आकस्मिक देयताओं के नोट संख्या (बी) (iii) जो कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों का महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं नोट का भाग है, में 400.46 लाख रूपये के देय दावे को दर्शाया नहीं गया है। प्रकरण मध्यस्थ के पराधीन है। हम निगम के वित्तीय प्रतिवेदनों पर इसके प्रभाव के सम्बन्ध में कोई राय प्रकट करने में असमर्थ हैं।

6. एच एवं टी ठेकेदार से वसूली प्रमाणीकरण पर आधारित है इसलिए इस सम्बन्ध में असहमति अथवा विवाद के बारे में जानकारी नहीं है अत: इसका वित्तीय प्रकरणों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता।

7. कम्पनी आयकर एवं आयकर की वापसी के प्रावधान अनुसार मिलान नहीं कर रही है। पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में हम आयकर वापसी की राशि को लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम में दर्शाने एवं उक्त राशि की वसूली योग्य वापसी एवं परिणामस्वरूप संलग्न स्टैंण्डअलोन वित्तीय विवरण पर होने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

8. एफ बी टी से प्राप्त होने वाली वापसी की राशि 1.22 लाख रूपये को कम्पनी द्वारा लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम मद में दर्शाया गया है। हमारी राय में यह राशि वसूली योग्य नहीं है। तदनुसार अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम एवं शेयरधारकों के कोष के मद से 1.22 लाख रूपये की राशि कम होगी एवं इस वर्ष की हानि में 1.22 लाख रूपये की वृद्धि होगी।

9. मैसर्स आर एस आर डी सी सी लि. के बकाया भुगतान का निपटारा नहीं करने के संबंध में नोट संख्या (7) (अ) का संदर्भ लें। कई वर्ष पूर्व मैसर्स आर एस आर डी सी सी लि. द्वारा अनेक निर्माण कार्य किये परन्तु निगम अच्छी तरह से लेखा मिलान में विफल रहा। अन्तिम पुष्टि एवं पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में वित्तीय विवरण पर प्रभाव का आंकलन नहीं किया जा सकता। आर एस आर डी सी सी लि. के साथ लेखों का अन्तिम समाधान करने से सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्य (स्थाई सम्पत्ति) पर भी प्रभाव पड़ेगा।

10. ''अन्य चालू देयताएं'' शीर्षक में देय ब्याज के मद में दर्शाई गई राशि रूपये 3,99,854/- के संदर्भ में कोई सूचना उपलब्ध नहीं होने के संबंध में टिप्पणी क्रमांक 4 (ए) का संदर्भ ले। पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में, हम इसका मूल्य दर्शाने एवं इसका संलग्न स्टैंन्डअलोन वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव, अगर कोई हो, पड़ने पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

11. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं टिप्पणियां के अन्तर्गत आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में टिप्पणी क्रमांक (बी) (iii), जो वित्तीय विवरण का भाग है, के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा आकस्मिक देयताओं में 765.94 लाख रूपये दर्शाये हैं जो कम्पनी के विरूद्ध दावे हैं एवं जिन्हें देनदारियां नहीं माना गया है। इस राशि में शास्तियां/वसूलियां/ ब्याज/आर्थिक किराया इत्यादि सम्मिलित हैं जिसे विभिन्न राजकीय विभागों (यथा रीको, कस्टम विभाग, गृहकर, नगरीय विभाग इत्यादि) द्वारा मांग की गई है। इसमें से 601.32 लाख रूपये के ऐसे दावे/देनदारियां हैं जो सक्षम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हैं। तथापि 164.62 लाख रूपये की शेष राशि के संबंध में कम्पनी द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तदनुसार, अल्प अवधि प्रावधान एवं इस वर्ष के लिए हानि में 164.62 लाख रूपये की वृद्धि होगी एवं शेयरधारकों के कोष भी 164.62 लाख रूपये से कम होगा।

12. वित्तीय वर्ष 2017-18 से 14.15 लाख रूपये जयपुर हस्तशिल्प उत्सव-2018 के संबंध में व्यापार लेनदारियों में दिखाये जा रहे हैं। जबकि आर एस आई सी द्वारा देनदारों को इस संबंध में कोई मांग-पत्र नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस राशि की संबंधित देनदारों/पक्षकारों द्वारा पुष्टि भी नहीं की गई है। हमारी राय में, यह व्यापार लेनदारियां संदिग्ध हैं एवं इसका प्रावधान किया जायेगा। तदनुसार, व्यापार देनदारियां एवं शेयरधारकों के कोष में 14.15 लाख रूपये की कमी हो जायेगी एवं वर्ष की हानि 14.15 लाख रूपये से बढ़ जायेगी।

13. आई.टी.पी.ओ., दिल्ली के नाम 10.40 लाख रूपये की राशि को अग्रिम दिखाया गया है एवं इसे लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम में दिखाया गया है। राशि का प्रमाणीकरण नहीं है। इसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में, हम इस राशि को दर्शाने के सम्बन्ध में एवं इसके फलस्वरूप संलग्न स्टैन्डअलोन वित्तीय अभिलेखों पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में राय प्रकट करने में असमर्थ हैं।

14. एम.एस.एम.ई. लेनदारों को विलम्ब से किये गये भुगतान पर देय ब्याज के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में हम देय ब्याज की राशि की मात्रा एवं इसके फलस्वरूप संलग्न स्टैन्डअलोन वित्तीय प्रतिवेदनों पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं कर सकते।

15. आर एस आई सी के कर्मचारियों द्वारा कम्पनी के विरूद्ध दायर कई वाद लम्बित हैं। इसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में, हम देय अघोषित आकस्मिक देनदारी की मात्रा एवं इसके फलस्वरूप संलग्न स्टैन्डअलोन वित्तीय प्रतिवेदनों पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं कर सकते।

16. समस्त देय प्रतिभूति राशि को अन्य दीर्घकालीन देनदारियां दर्शाया गया है। जबकि इसमें ऐसी राशि सम्मिलित हैं जिसे प्रेषण की तिथि से 12 माह के भीतर सम्बन्धित को लौटाया जाना है। इससे वर्गीकरण में त्रुटि हुई। इसे लघु अवधि देनदारियों में वर्गीकृत करना चाहिए। इसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में, हम इस राशि का एवं इसके फलस्वरूप संलग्न स्टैन्डअलोन वित्तीय प्रतिवेदनों पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं कर सकते।

17. अन्य आय/निविदा शुल्क पर अन्य आय/दण्ड/ब्याज पर जीएसटी की वसूली नहीं की गई। इस आय पर जीएसटी देय है। इसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में, हम जीएसटी की देनदारी एवं इसके फलस्वरूप संलग्न स्टैन्डअलोन वित्तीय प्रतिवेदनों पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं कर सकते।

18. जमा राशि वाले देनदारों को लेनदारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है एवं दूसरी ओर ऋणी लेनदारों को देनदारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके फलस्वरूप चालू सम्पत्तियों के वर्गीकरण में त्रुटि हुई। इसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में, हम संलग्न स्टैन्डअलोन वित्तीय प्रतिवेदनों पर वर्गीकरण की त्रुटि से पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं कर सकते।

19. ए.एस. 28 : परिसम्पत्तियों की क्षति – एक प्रतिष्ठान को प्रत्येक वार्षिक लेखों की तिथि को आंकलन करना चाहिए कि क्या कोई परिसम्पत्ति क्षतिग्रस्त है। कम्पनी द्वारा सूचित अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं कर रही है क्षतिग्रस्त परिसम्पित्तियां की क्षति से हुई हानि का प्रावधान किया गया है। इसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में हम संलग्न स्टैन्डअलोन वित्तीय प्रतिवेदनों पर सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण की राशि से पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं कर सकते।

20. कम्पनी द्वारा मूल्यह्रास की दर कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत शेड्यूल–।। के अनुसार लगाई गई थी। लेखा पुस्तकों में वित्तीय वर्ष 2014–15 से पूर्व की मूल्यह्रास की दर में पूर्वानुसार परिवर्तन का प्रभाव नहीं दिया गया है। इस आय पर जीएसटी देय है। इसके समर्थन में उपुयकत्साक्ष्य के अभाव में हम संलग्न स्टैन्डअलोन वित्तीय प्रतिवेदनों पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं कर सकते।

21. कम्पनी द्वारा समय–समय पर परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण की संदिग्ध या अच्छे के रूप में समीक्षा नहीं की जाती है। इससे ऐसी परिसम्पत्तियां जो वास्तव में संदेहप्रद है परन्तु उनका अच्छे में वर्गीकरण करने से प्रावधानों में प्रभाव होता है। इसके समर्थन में उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में हम संलग्न स्टैन्डअलोन वित्तीय प्रतिवेदनों पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं कर सकते।

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट – '2'

महत्वपूर्ण मामले

1. हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 में आंतरिक अंकेक्षण नहीं किया गया एवं ना ही कोई आन्तरिक अंकेक्षण की रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई गई।

2. व्यापारिक लेनदारियां, व्यापारिक देनदारियां/बकाया देनदारियां, प्रतिभूति राशि संपुष्टि एवं मिलान के अधीन रहती है। इनमें कुछ पुराने/बिना मेल किये हुए, जिनकी संपुष्टि/मिलान/समाधान शेष है, भी सम्मिलित हैं।

3. वित्तीय वर्ष 2016–17 से सम्बन्धित 28.42 लाख रूपये कुल बिक्री पर छूट (टी ओ डी) के पेटे इस वर्ष के प्रारम्भ में देय थे, को प्रबन्धन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार चालू वर्ष में आय के तौर पर प्रविष्टि की गई है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित 24 लाख रूपये की टी ओ डी एवं 12.48 लाख रूपये की एस एस आई छूट को वित्तीय अभिलेखों में निरन्तर चालू देयताओं में दर्शाया जा रहा है। इस विषय में प्रबन्धन का निर्णय कि इस राशि को प्रतिष्ठानों को भुगतान कर दिया जायेगा अथवा यह आर एस आई सी की आय रहेगा, अनिर्णित है।

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट – 3

(दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को दी गई हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के भाग अन्य विधिक एवं नियामक अनिवार्यताओं के अन्तर्गत पैरा 1 का संदर्भ लें)

ऐसे नियंत्रण जो हमने उचित पाये एवं हमारे अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम यह सूचित करते हैं कि :

1. सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(ए) कम्पनी द्वारा अचल सम्पत्तियों के उचित अभिलेख संधारित नहीं किये गये हैं।

(बी) प्रबन्धन द्वारा अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है।

(सी) कम्पनी के पास निम्न सम्पत्तियों का उचित स्वामित्व विलेख नहीं हैं।

क्र.सं.	सम्पत्ति का ब्यौरा	क्षेत्रफल	खातों में अंकित मूल्य
1.	राजस्थली कोलकाता (गेरीहाट) का शोरूम	88.07 वर्गमीटर (पट्टे पर)	क्र.सं. 1 एवं 2 की संयुक्त कीमत 10.35 लाख रूपये
2.	आवासीय फ्लेट कोलकाता	750 वर्गमीटर (पट्टे पर)	
3.	राजस्थली हैण्डीक्राफ्ट माल एम.आई. रोड जयपुर में (जमीन व शोरूम)	2020 वर्ग गज (पट्टे पर)	भूमि की कीमत 313.70 लाख रूपये है। (कम्पनी के पास नगर निगम जयपुर द्वारा जारी केवल आवंटन पत्र है।) राजस्थली भवन एवं हैण्डीक्राफ्ट माल का ह्रास मूल्य 213.09 लाख रूपये एवं 576.04 लाख रूपये हैं।
4.	मुख्यालय भवन (उद्योग भवन, जयपुर)	33944 वर्ग फीट (पूर्ण स्वामित्व का)	भूमि की कीमत 13.69 लाख रूपये एवं भवन की लागत 60.10 लाख रूपये है। (कम्पनी के पास लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कब्जा पत्र है।)

5.	कच्चा माल आगार, भरतपुर	1264 वर्ग मीटर (पूर्ण स्वामित्व का)	भूमि की कीमत 0.25 लाख रूपये (सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये)
6.	आई.सी.डी. सेक्टर–9 भिवाडी	9112.04 वर्ग मीटर (पट्टे पर)	भूमि की कीमत 48.75 लाख रूपये। (कम्पनी के पास यू.आई.टी., अलवर द्वारा जारी केवल कब्जा पत्र है।)

2. सामान की सूचियां

(ए) प्रबन्धन द्वारा वर्ष के अन्त में, मार्गस्थ वस्तुएं एवं तीसरे पक्ष के पास रखी वस्तुएं को जोड़ कर भौतिक सत्यापन करवाया गया। हमारी राय में ऐसे सत्यापन की आवृत्ति पर्याप्त नहीं है एवं इसे बढ़ाना चाहिए।

(बी) मार्गस्थ वस्तुओं के सम्बन्ध में अगर कोई है, पुष्टीकरण प्राप्त किया गया है।

(सी) सूची के भौतिक सत्यापन पर अभिलेखों की तुलना में पाई गई विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं थी एवं उन्हें वित्तीय अभिलेखों में उचित सुधार किया गया है जिसमें 2.24 लाख रूपये के समायोजन को छोड़कर जो 1972–73 से लेकर 1998–99 तक पाई गई कमी से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त, 0.20 लाख रूपये मूल्य के सामान जो तृतीय पक्ष– कारीगरों के पास एवं 0.21 लाख रूपये का सामान अन्य के पास कई वर्षो से पड़ा है, की कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है। पुराना प्रकरण होने के कारण 0.41 लाख रूपये संदिग्ध है जिसके सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. कम्पनी अधिनियम की धारा 189 के अनुसार रखे गये रजिस्टर में उल्लेखित कम्पनी द्वारा किसी भी कम्पनियों, फर्मों एवं दायित्व कर्म या पक्षकार कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। अत: आदेश की धारा 3 के अनुच्छेद (iii)ए से (सी) लागू नहीं होते हैं इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

4. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के उपयुक्त प्रावधानों के अनुसार ऋण स्वीकृति, निवेश, प्रत्याभूति एवं प्रतिभूति नहीं की गई है।

5. ऐसी अग्रिम राशि विद्यमान है जिसे सामान की आपूर्ति अथवा सेवा प्रदान करने में अग्रिम स्वीकार करने की तिथि से 365 दिवस के भीतर समायोजित नहीं किया गया है एवं ऐसे अग्रिम किसी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही के आशय से लम्बित नहीं है। अत: ऐसे अग्रिम निक्षेप के रूप में मानने योग्य है। कम्पनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान एवं इस आधार पर निर्धारित नियमों के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की है। कम्पनी लॉ बोर्ड (सी एल बी) अथवा राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रब्यूनल (एन सी एल टी) अथवा आर बी आई अथवा उच्च न्यायालय अथवा अन्य कोई ट्रब्यूनल द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

6. जैसा हमें सूचित किया गया है, कि कम्पनी द्वारा की जा रही गतिविधियों के संबंध में, केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जैसा निर्दिष्ट किया गया है किसी लागत के अभिलेख संधारित करने के निर्देश नहीं दिये गये हैं।

7. वैधानिक बकाया के सम्बन्ध में

(ए) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं एकत्र की गई सूचना एवं किये गये पुष्टिकरण के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि कम्पनी अविवादित वैधानिक देयताएं मय भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा फण्ड, कर्मचारी बीमा निधि, आयकर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस एवं अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देयताओं जो इन पर लागू हैं, को सक्षम प्राधिकारों के पास जमा करने में प्राय: नियमित है। इसके अतिरिक्त हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कोई अविवादित उपरोक्त वर्णित वैधानिक देयताएं निम्नलिखित को छोड़कर दिनांक 31.03.2019 को बकाया नहीं थी जो कि उनकी देय तिथि से छ: माह से अधिक अवधि के लिए अदत्त रही हो।

1. पुरानी भविष्य निधि की राशि रू. 137740/-
2. पुराना विक्रय कर राशि रू. 65995/-
3. जीवन बीमा निगम को राशि रू. 31533/- एवं व्यवसायिक कर राशि रू. 6073/-
4. कम्पनी पट्टा किराया कर, भवन कर के भुगतान में नियमित नहीं है। निगम के अनुसार दिनांक 31.03.2019 तक निम्न अविवादित राशि का भुगतान करना शेष है (जिसमें मांग के आधार पर ब्याज एवं शास्ति सम्मिलित है।)

वैधानिक देयता का नाम	देय की प्रकृति	राशि (लाखों में)	राशि किस अवधि से संबंधित है
(अविवादित) लीज किराया (मय ब्याज सहित)	आई.सी.डी. भिवाडी	146.67	अप्रेल 1999 से मार्च 2019
भवन कर और यू.डी. टैक्स	आरएसआईसी, मुख्यालय, जयपुर	3.89	मार्च 2019 तक

इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि निगम के पास गृह कर की मांग के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है इसलिए हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

5. निगम के आयकर से संबंधित खाते मिलान किये जा रहे हैं एवं आयकर विभाग द्वारा विभिन्न वर्षों में जारी की गई मांग की सही सही जानकारी एवं उनका निगम के खातों को किये गये मिलान की सही सूचना भी निगम के पास उपलब्ध नहीं है। अत: इस विषय में हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।
6. निगम में जीएसटी से सम्बन्धित खाते अनुपयुक्त हैं। जीएसटी की विवरणियों का लेखा पुस्तकों के साथ मिलान निगम में उपलब्ध नहीं है। अत: हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(बी) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी पर आयकर/विक्रय कर/सम्पत्ति कर/सेवा कर/सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/सैस का कोई वैधानिक कर का दायित्व लम्बित नहीं है जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं करवाया हो, केवल निम्न को छोड़कर जिसमें विवादास्पद होने के कारण निगम द्वारा विक्रय कर एवं सेवा कर जमा नहीं करवाये हैं:

देय राशि का नाम	राशि (रूपये में)	राशि किस अवधि से संबंधित है	विवाद कहां लम्बित है
आरएसटी	76,335	2005-06	कम्पनी ने वांछित दस्तावेज/जानकारी सक्षम प्राधिकारी को मांग अपस्त करने के लिए प्रस्तुत कर दिये हैं।
वेट	68,513	2006-07	
वेट	60,132	2007-08	
वेट	51,14,300	2011-12	वैट रिटर्न में मिलान नहीं होने बाबत कम्पनी द्वारा विभाग को ज्ञापन दिया है।
वेट	29,87,434	2012-13	
वेट	54,73,685	2013-14	
वेट	60,85,030	2014-15	
सीएसटी	2,560	2010-11	
सीएसटी	9,72,930	2014-15	
सीएसटी	6,74,870	2015-16	
वेट	20,70,490	2015-16	
वेट	18,37,410	2016-17	अमिलान
सीएसटी	1,32,130	2016-17	अमिलान
कुल	**25552114**		
(इन मांगों पर ब्याज देय है)			
सर्विस टैक्स	2,16,340 9,16,887	2006-07 2007-08	सीसेट – सीमा शुल्क सेवा कर अपील अधिकारी
आयकर	280742	31.03.2019 तक	टीडीएस मांग

8. ऋण एवं उधार का पुर्नभुगतान

हमारी राय में एवं हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर कम्पनी द्वारा देय राशि का निम्न पुर्नभुगतान करने में देरी की:

क्र.सं.	नाम	राशि रू.	से देय
1.	राजस्थान सरकार	2500000	26 मार्च 2011
2.	राजस्थान सरकार	2500000	26 मार्च 2012
3.	राजस्थान सरकार	2500000	26 मार्च 2013

दिनांक 26.07.2018 को आयोजित एसआर एफ के प्रबन्धन की बैठक के आधार पर, आर एस आई सी के प्रबन्धन द्वारा एस आर एफ को देय ऋण एवं ब्याज को दीर्घ अवधि उधार माना है। प्रबन्धन का विचार है कि इसका संदर्भित तिथि से 12 माह के भीतर पुर्नभुगतान देय नहीं होगा। अत: इसे देरी से किया गया पुर्नभरण नहीं माना जाता।

9. अंकेक्षण की अपनाई गई पद्धति एवं प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण पर आधारित, कम्पनी द्वारा प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव/ऋण उपकरणों सहित एवं अवधि ऋण नहीं लिया है। तदनुसार आदेश की धारा 3 (ix) में दिये गये प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते एवं इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की।

10. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा या कम्पनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी का मामला न तो जानकारी में आया न ही सूचित किया।

11. यह राज्य सरकार की कम्पनी होने के कारण, दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना के अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों की अनुपालना से मुक्त है। इसलिए आदेश का पैरा 3 (xi) लागू नहीं है।

12. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है, अत: आदेश का अनुच्छेद 3 (xii) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

13. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा अभिलेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार कम्पनी द्वारा पक्षकारों के साथ किया गया व्यवहार कम्पनी अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुसरण में है। जहां उपयुक्त है वहां लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदनों में प्रकटीकरण किया गया है।

14. अंकेक्षण में अपनाई गई पद्धति एवं प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण पर आधारित, कम्पनी द्वारा आलोच्य वर्ष के दौरान कोई तरजीह आवंटन या शेयरों को निजी प्लेसमैंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण पत्र जारी नहीं किये हैं। तदनुसार आदेश की धारा 3 (xiv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं एवं इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की।

15. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अभिलेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार, कम्पनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े लोगों के साथ वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के कोई गैर नगदी व्यवहार नहीं किये हैं। अत: आदेश की धारा 3 (xv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

16. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अभिलेखों के किये गये परीक्षण के अनुसार, कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1 (ए) के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। अत: आदेश की धारा 3 (xvi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

स्वतंत्र अंकेक्षण की रिपोर्ट का परिशिष्ट – '4'

(ए) अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार हमारा कथन निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	निर्देश	की गई कार्यवाही	वित्तीय वक्तव्यों पर प्रभाव
1.	क्या कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया प्रणाली है? अगर हां, लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया अगर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बिना की जाये तो उसका अखण्डता पर प्रभाव एवं इसका वित्तीय भार, अगर कोई हो वर्णन करें।	कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया प्रणाली नहीं है। लेखा पुस्तकों का वर्ष के अन्त में आई टी प्रणाली के माध्यम से इकाईवार लेखा पुस्तकों का संधारण किया जाता है। लेखा पुस्तकों के एकीकरण हस्त लेखन से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कुछ इकाइयों यथा राजस्थली जयपुर, कोलकता एवं दिल्ली की लेखा पुस्तकें हस्त लेखन से संधारित की जाती हैं। आई टी प्रणाली में एक एकल प्रविष्टि से कई वित्तीय लेनदेन संयुक्त रूप से पारित बुक किये जाते हैं। इससे प्रथम कर्त्ता एवं जांचकर्त्ता के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता। आई टी प्रणाली में अधिकांश प्रविष्टियां बिना किसी कथन के की जाती हैं। इसमें कोई केन्द्रीय ई आर पी प्रणाली नहीं है। आई टी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के नकारात्मक प्रभाव हैं। जैसा कि अधिक भुगतान, जी एस टी क्रेडिट का कम उत्क्रमण, टी डी एस की अनुपालन का सत्यापन। हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट में भी इसे योग्य माना गया है।	हम लेखों की प्रमाणिकता पर आई टी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव की मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ हैं।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया अथवा कर्ज/ऋण/ ब्याज इत्यादि की राशि के अधित्याग/ बट्टेखाते डालना के प्रकरण जिसमें ऋणदाता द्वारा कम्पनी के साथ किया हो जबकम्पनी ऋण चुकाने में ससमर्थ हो ?	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुरूप, मौजूदा ऋण के पुर्नगठन या कर्ज/ऋण/ब्याज की राशि के अधित्याग/ बट्टेखाते डालने का कोई प्रकरण नहीं है।	कोई नहीं।

3.	क्या केन्द्रीय / राज्य सरकार की संस्थाओं से विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त की गई/ प्राप्त करने योग्य धनराशि का नियम एवं शर्तों के अनुसार समाधान/ उपयोग किया गया? भिन्न्ता वाले प्रकरणों की सूची।	प्राय: वर्ष के दौरान विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धन का समाधान/उपयोग नियम एवं शर्तों के अनुसार किया जाता है।	कोई नहीं।

(बी)

क्र.सं	कम्पनी विशेष निर्देश	टिप्पणी
1.	क्या केन्द्रीय / राज्य सरकार की संस्थाओं से विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त की गई। प्राप्त करने योग्य धनराशि का समाधान/उपयोग किया गया? भिन्न्ता वाले प्रकरणों की सूची।	प्राय: वर्ष के दौरान विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धन का समाधान/उपयोग नियम एवं शर्तों के अनुसार किया जाता है।
2.	क्या बैंक गारंटी को समय पर पुर्नवैधीकरण किया गया?	हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31.03.2019 को कोई बैंक गारंटी नहीं है। चालू वर्ष में पुर्नवैधीकरण में देरी करने का कोई प्रकरण नहीं है।
3.	व्यापारिक प्राप्तियां, व्यापारिक देयताओं, सावधि जमाओं, बैंक खातों एवं नगद प्राप्त की गई राशि का पुष्टिकरण पर टिप्पणी	व्यापार प्राप्तियों एवं व्यापार देयताओं की शेष राशि की पुष्टि निगम द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। इसका हमारे द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट में भी संज्ञान लिया गया है। वर्ष के अन्त में बैंक में शेष राशि की पुष्टि की जाती है। सावधि जमा की अंतवैधता का सावधि जमा की पावती पत्र से सत्यापन किया जाता है। हालांकि सावधि जमा की शेष राशि का बैंक से सत्यापन नहीं किया जाता है। प्रबन्धन द्वारा वर्ष के अन्त में नगदी का भौतिक सत्यापन किया जाता है एवं कोई विसंगति उनके द्वारा नहीं देखी/सूचित की गई।

स्वतंत्र अंकेक्षण रिपोर्ट का परिशिष्ट – '5'

कम्पनीज अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (1) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (दि कम्पनी) के 31.03.2019 तक के स्टैंन्डअलोन वित्तीय प्रपत्रों का अंकेक्षण किया एवं इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण भी किया।

वित्तीय प्रपत्रों के संबंध में प्रबन्धन के दायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की स्थापना एवं रख–रखाव के लिए उत्तरदायी है जो आंतरिक नियंत्रण के विभिन्न घटकों के अनुसार हो जैसा विवरण दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के दिशा–निर्देश नोट में अंकित किया गया है। इन दायित्वों के व्यवसाय को व्यवस्थित एवं कुशल ढंग से चलाने को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रख–रखाव एवं कम्पनी की नीतियों की पालना सम्मिलित है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों की सम्पूर्णता एवं सत्यता सुनिश्चित करना एवं समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करना आवश्यक है।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व हमारे अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय अभिव्यक्त करना है। हमने आई सी ए आई द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण' का दिशा–निर्देश नोट (द दिशानिर्देश नोट) एवं अंकेक्षण के मानक जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 केनियम 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित माना जाता है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर लागू सीमा तक प्रभावी है एवं जिन्हें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर भी एवं जिन्हें भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किया गया है, के अनुसार अंकेक्षण किया। इन मानक एवं दिशा निर्देश नोट की आवश्यकता होती है कि हम नैतिकता की पालना करें तथा अंकेक्षण को इस प्रकार से नियोजित एवं आयोजित करें जिससे उचित सीमा तक यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित था और प्रयोजन में लाया जा रहा था एवं ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित थे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उसके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के संदर्भ में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। हमारे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना किसी महत्वपूर्ण कमजोरी से उत्पन्न ऐसे जोखिम का आंकलन एवं आंतरिक नियंत्रण जो जोखित के आंकलन उपरान्त स्थापित किये गये हो के स्वरूप और परिचालन में प्रभावशीलता मूल्यांकन करना है। प्रक्रियाओं का चयन अंकेक्षक के विवेक पर है जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटिवश वित्तीय विवरणों में भ्रामक जानकारी की जोखिम का निर्धारण शामिल है।हम विश्वास करते हैं कि कम्पनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन देती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अन्तर्गत वे नीतियां तथा प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो –

(1) अभिलेखों के संधारण से सम्बन्धित है तथा ये अभिलेख कम्पनी के लेन–देन तथा परिसम्पत्तियों के वितरण का उपयुक्त विवरण, परिशुद्ध व स्पष्ट रूप से दर्शाते हो।

(2) पर्याप्त आश्वासन देती है कि सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार, वित्तीय विवरणों को तैयार करने की आवश्यकतानुसार लेन–देन अभिलिखित किये जाते हैं तथा कम्पनी की प्राप्तियां तथा व्यय कम्पनी के प्रबन्ध वर्ग तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किये जाते हैं, तथा

(3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों जिनका वित्तीय विवरणों पर सार्थक प्रभाव पड़ सकता है, के अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा वितरण को रोकने अथवा समय पर उनका पता लगाने के संबंध में यथोचित आश्वासन देती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं तथा नियंत्रणों की कपटपूर्ण अथवा अनुपयुक्त प्रबन्धन की संभावना के कारण भूलवश अथवा धोखाधड़ी से वित्तीय विवरणों में त्रुटि हो सकती है तथा उनका पता न लगने की संभावना हो सकती है। साथ ही भावी समयावधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमानों से ऐसे जोखिम हो सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अनुपयुक्त हो सकते हैं अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन के अंश में कमी आ सकती है।

महत्वपूर्ण मामले

हम निम्न मामलों में आपका ध्यान आकर्षित करते हैं:–

1. कम्पनी के पास आई टी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया प्रणाली नहीं है। लेखा पुस्तकों को आई टी प्रणाली से नियमित रूप से संधारण नहीं किया जाता है। लेखा पुस्तकों का एकीकरण मैन्यूअली किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ इकाइयों यथा राजस्थली जयपुर, कोलकाता एवं दिल्ली लेखा पुस्तकों को अभी भी मैन्यूअली किया जाता है। लेखा प्रविष्टियों का लेनदेन आई टी प्रणाली के अतिरिक्त करने से आंतरिक नियंत्रण की कमी दर्शाता है।
2. प्रविष्टियों को जोड़कर आई टी प्रणाली में एक सामुहिक प्रविष्टि के रूप में इन्द्राज किया जाता है। बहुत सी लेखा प्रविष्टियां मरकेन्टाइल/एकरूयल आधार के स्थान पर नगद आधार पर की जाती हैं।
3. कथन उचित नहीं है।
4. भुगतान को आपूर्ति बिल के साथ प्रति संदर्भ/चिन्हित नहीं किया जाता।
5. प्रथमकर्त्ता तथा जांचकर्त्ता के सिद्धान्त का पालन नहीं किया जाता।

6. अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता, जिस के कारण लेखा पुस्तकों में सम्पत्तियों की क्षति का लेखांकन/प्रावधान नहीं किया गया।

हमारी राय में परिशिष्ट '1' में दी गई क्वालीफाईड ऑपिनियन के आधार पर पड़ने वाले मामलों के प्रभाव को छोड़कर, हमारी श्रेष्ठ सूचना एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के आधार पर, कम्पनी द्वारा उचित एवं निष्पक्ष वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण स्थापित है। 31.03.2019 को स्थापित आंतरिक नियंत्रण को सुधार एवं प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

कृते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउन्टेंटस्

फर्म पंजीकरण संख्या : 001408सी

सिद्धार्थ बाफना

साझेदार

सदस्यता संख्या : 405227

यूडीआईएस: 19405227एएएबीएस2305

स्थान : जयपुर

दिनांक : 29.08.2019

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय : उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005
फोन : 0141–2227079 फैक्स : 0141–2227257
वेब साइट : www.industries.rajasthan.gov.in/rajsico, E-mail : rajsico@rajasthan.gov.in
CIN : U91110RJ1961SGC001118

वार्षिक लेखे
2018–19

वार्षिक लेख

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

जयपुर

तुलन – पत्र

31 मार्च, 2019 का

विवरण	नोट सं.	31.03.2019 को		31.03.2018 को	
			रु.		रु.
अंश पूंजी एवं दायित्व					
अंशधारकों का कोष					
अंश पूंजी	1	69,640,300		69,640,300	
संचय एवं अतिरेक	2	(139,.634,825)	(69,994,525)	(127,705,094)	(58,064,794)
शेयर आवेदन पूंजी विचाराधी आवंटन					
अचल दायित्व	3				
दीर्घावधि ऋण	3.1	77,568,744		75,301,664	
अन्य दीर्घावधि ऋण	3.2	40,450,172		41,576,279	
दीर्घावधि प्रावधान	3.3	26,771,635	144,790,551	23,061,249	139,939,192
चल दायित्व	4				
लघु दायित्व	4.1	–			
व्यापारिक देयताएं	4.2	127,430,500		215,003,382	
अन्य चल देयताएं	4.3	52,867,586		268,146,353	
लघु अवधि प्रावधान	4.4	173,748,631	354,046,717	186,601,493	669,751,228
कुल			428,842,743		751,625,626
सम्पत्तियाँ					
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	5				
मूर्त सम्पत्तियाँ		189,533,505		195,898,127	
पूंजीगत कार्य की प्रगति			189,533,505		195,898,127

अचल विनियोजन	6		286,140		286,140
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	7	6,389,222	6,389,222	6,374,717	6,374,717
अन्य अचल सम्पत्तियाँ	8				
चल सम्पत्ति	9				
रहतियाँ	9.1	4,607,614		52,204,610	
व्यापारिक प्राप्ताएँ	9.2	7,656,289		6,388,043	
नगद एवं नगद तुल्य	9.3	151,514,184		418,395,402	
लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	9.4	61,314,944		58,871,397	
अन्य चल सम्पत्तियाँ	9.5	7,540,846	232,633,877	13,207,190	549,066,642
कुल			428,842,743		751,625,626
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	1–22		–		–

अंकेक्षण रिर्पोट

हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के क्रम में

वास्ते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाण्टेन्टस

एफआरएन : 001408सी

डा. आकाश आल्हा	**पी.के. जैन**	**के.के. पाठक**	**उर्मिला राजोरिया**	**सिद्धार्थ बाफना**
मुख्य लेखाधिकारी	कम्पनी सचिव	प्रबन्ध निदेशक	निदेशक	भागीदार
		डीआईएन 08328847	डीआईएन 02903609	एम.नं. 405227
				यूडीआईएस: 19405227एएएबीएस2305

स्थान: जयपुर
दिनांक: 29.08.2019

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

जयपुर

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि प्रपत्र

विवरण	नोट सं.		31.03.2019 को		31.03.2018 को
			रु.		रु.
आय					
परिचालन से आय	10		973,836,472		1,360,579,815
घटाये: उत्पाद शुल्क					
सकल परिचालन से आय			973,836,472		1,360,579,815
अन्य आय	11		33,293,274		53,877,932
कुल राजस्व	(ए)		1,007,129,746		1,414,457,747
व्यय:					
उपभोग माल की लागत	12				
क्रय माल का स्कंन्द	13		772,486,465		1,223,660,010
स्टॉक चालू स्टॉक व तैयार माल की पंतियाँ में परिवर्तन	14		47,596,997		(20,793,663)
कर्मचारी अनुलाभ व्यय	15		79,054,847		65,642,446
वित्तीय लागत	16		3,460,822		2,805,117
मूल्यह्रास एवं अपलेखन	5		4,991,023		5,413,724
अन्य व्यय	17		113,501,232		125,359,000
कुल व्यय	(बी)		1,021,091,386		1,402,086,634
लाभ/(हानि) पूर्व अवधि की मदों, अपवादस्वरूप मदों, असाधारण मदों एवं कर से पूर्व	(ए-बी)		(13,961,641)		12,371,113
घटाईये: अपवाद स्वरूप मदें					
पूर्वांवधि मदें	19		2,195,388		2,382,657
अतिरिक्त प्रावधान/फुटकर शेष/वापिस किया	18		869,844		32,885,328
लाभ/(हानि) असाधारण मदों एवं कर से पूर्व			(10,896,408)		47,639,098

जोडिये: असाधारण मदों	20		1,198,567		45,847
लाभ/(हानि) कर से पूर्व			(9,697,841)		47,684,945
कर व्यय					
(ए) इस वर्ष का चालू कर व्यय					
(बी) (घटाईये): शुद्ध क्रेडिट एनटाईटलमेंट					
(सी) शुद्ध चालू वर्ष का कर					
(डी) पूर्वांद एवं चालू वर्ष से संबंधित कर व्यय					
(ई) शुद्ध कर व्यय					
(एफ) स्थगित कर का प्रावधान					
वर्ष के लिए का लाभ/(हानि)			(9,697,841)		47,684,945
प्रधान एवं परिवृद्धि/प्रत्येक अंश	21		(13.93)		68.47
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	1-22				

अंकेक्षण रिपोर्ट

हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के क्रम में

वास्ते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाण्टेन्टस

एफआरएन : 001408सी

डा. आकाश आल्हा	पी.के. जैन	के.के. पाठक	उर्मिला राजोरिया	सिद्धार्थ बाफना
मुख्य लेखाधिकारी	कम्पनी सचिव	प्रबन्ध निदेशक	निदेशक	भागीदार
		डीआईएन 08328847	डीआईएन 02903609	एम.नं. 405227

यूडीआईएस: 19405227एएएबीएस2305

स्थान: जयपुर
दिनांक: 29.08.2019

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं टिप्पणियां जो वित्तीय विवरणों का भाग

(31.03.2019 तक के तुलन–पत्र एवं इस तिथि तक के लाभ एवं हानि खातों का विवरण का भाग)

वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

(ए) लेखा नीतियाँ

वित्तीय प्रपत्र ऐतिहासिक लागत की अवधारणा पर उपार्जन पद्धति पर एवं सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के सम्बन्धित प्रावधानों एवं लेखा मानकों जैसे लागू हैं एवं जिन्हें कम्पनी द्वारा निरन्तर अपनाया जा रहा है।

1. अनुदान सहायता :

परिशिष्ट 'ए' में वर्णित व्यय एवं प्राप्ति जैसे अनुदान सहायता के सम्बन्ध में दर्शाई गई है उस प्रकार लाभ एवं हानि लेखों के अन्तर्गत प्रपत्रों में नहीं दिखाई गई।

2. निवेश :

(1) दीर्घावधि निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है। हालांकि किसी स्थाई गिरावट को दीर्घावधि निवेश को अग्रेषित की जाने वाली राशि में समायोजित किया जाता है।

(2) वर्तमान निवेश को लागत या वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो पर उद्धरित किया जाता है।

3. मूल्यह्रास:

(1) भूमि :– लीज अवधि के आधार पर लीज होल्ड भूमि के संबंध में खातों में परिशोधन प्रदान किया जाता है।

(2) अन्य स्थाई सम्पत्तियां :– स्थाई सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास धटक मूल्य पद्धति पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में दी गई दरों तथा पद्धति के अनुसार मूल्यह्रासिक राशि तक लगाया जाता है। प्रिन्टर को प्रिन्टर के उपकरण के सामान माना जाता है एवं इन पर मूल्यह्रास सम्पत्ति के अनुसार चार्ज किया गया।

सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण (एएस–10) : अचल सम्पत्ति लागत पर, संचित मूल्यह्रास का कुल संचित क्षीणता से हानि, अगर कोई हो, बताई गई है। लागत में उसके क्रय मूल्य के साथ, यदि पूंजीकरण मानदंड पूरा हो जाता है तो उधार लेने की लागत एवं उसके वांछित प्रयोजन तक उपयोगी बनाने हेतु व्यय की गई लागतें भी सम्मिलित हैं।

4. सेवानिवृत्ति लाभ:

ग्रेच्यूटी : निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को देय ग्रेच्यूटी के भुगतान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से पॉलिसी ले रखी है एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को देय वार्षिक योगदान एक्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि खातों में डेबिट किया जाता है

अवकाश नगदीकरण : कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवानिवृत्तिपर होने वाले अवकाश नगदीकरण के लाभ का आंकलन निगम द्वारा की गई गणना के आधार पर दायित्व का प्रावधान क्रमिक आधार पर किया गया है। आर.एस.आई.सी. सेवा नियम 1972 के अनुसार सेवानिवृत्ति पर अनुपयोगी चिकित्सा अवकाश का नगदीकरण नहीं किया जाता।

5. राजकीय अनुदानः-

(1) पूंजीगत व्यय के लिए : पूंजीगत व्यय के लिए प्राप्त राजकीय अनुदान को सम्बन्धित सम्पत्ति का पूंजीकरण कर पूंजी आरक्षित में स्थानान्तरित किया जाता है एवं सम्बन्धित सम्पत्ति के आर्थिक सहायता वाले भाग के आनुपातिक ह्रास को पूंजी आरक्षित लेखों में प्रावधान किया जाता है एवं उपयोग में नहीं लिये गये अनुदान को चालू देयताओं में दर्शाया जाता है।

(2) अन्य के लिए : राजस्व व्यय के लिए प्राप्त राजकीय अनुदान को सम्बन्धित मद/योजना के व्यय के विरूद्ध दर्शाया जाता है। उपयोग में लेने से पूर्व इसे देनदारी दर्शाया जाता है।

6. अन्य आय, भण्डारन जो वसूल नहीं किया गया, हैण्डलिंग शुल्क, वारफेज शुल्क, विवादित किराया, कर्मचारियों को देय प्रोत्साहन राशि जो प्रोत्साहन योजना (हस्तशिल्प) के अतिरिक्त को वास्तविक प्राप्तियों/भुगतान के आधार पर लेखांकन किया जाता है।

7. कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम पर ब्याज की गणना, उन कर्मचारियों के पक्ष में जो निगम छोड़ चुके हैं, प्राप्त होने पर लेखांकन किया जायेगा।

8. बिक्री में माल के स्थानानतरण पर व्यय शामिल है।

9. व्यापारगत माल का मूल्यांकन

(ए) लोहा एवं इस्पात इत्यादि व्यापारगत माल को एफ.आई.एफ.ओ. पद्धति से क्रय की कीमत के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है।

(बी) केन्द्रीय भण्डार एवं डीडीआरसी के व्यापारगत माल को एफ आई एफ ओ पद्धति अनुसार लागत पर या मानक लागत या वसूली योग्य मूल्य के आधार पर, जो भी कम हो, पर मूल्यांकन किया जाता है। एम्पोरियम पर माल का मूल्यांकन केन्द्रीय भण्डार एवं डी डी आर सी इत्यादि के निर्गम मूल्य पर अथवा एफ आई एफ ओ पद्धति अनुसार वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। पूर्व के वर्षों की भांति अनुमानित आधार पर दुकान पर कलुषित एवं क्षतिग्रस्त हस्तशिल्प वस्तुओं के मूल्य को 45 प्रतिशत (राजस्थली, केन्द्रीय भण्डार इत्यादि) एवं 30 प्रतिशत (एस एस डी विंग) पर आंकलन किया गया है।

(सी) भण्डार की वस्तुएं, अतिरिक्त पुर्जे एवं कच्चा माल को प्राय: एफ आई एफ ओ पद्धति पर लागत की कीमत पर मूल्यांकन किया जाता है।

(डी) कार्य प्रगति पर को लागत के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

10. कराधान -

(I) वर्तमान कर में आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत आय पर लगने वाले, अगर कोई हो तो, आयकर का प्रावधान किया गया है।

(ii) आस्थगित कर का प्रावधान समय के आधार पर विवेकपूर्ण विचार कर, जो कर योग्य आय एवं लेखा पद्धति से आप, जो एक समय में आरम्भ होती है एवं एक अथवा अधिक आगामी समय में समर्थ है अथवा परिवर्तनीय है।

(iii) आस्थगित कर संपत्तियों एवं दायित्वों की गणना कर की दरें एवं कर कानून जो तुलन–पत्र की तिथि तक पारित किये जा चुके हो के आधार पर की जाती है। परन्तु वर्ष के दौरान कोई डी टी ए / डी टी एल का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि भविष्य में लाभ होने की अनिश्चयता होने के कारण जिससे पूर्व के वर्षों की संचित हानि का समायोजन हो सके।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची–।।। में वर्णित सभी सम्पत्तियों एवं दायित्वों को चालू अथवा अप्रचलित प्रस्तुत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति एवं वसूली के आधार पर कम्पनी द्वारा परिचालन वृत्त को 12 माह से कम सुनिश्चित किया जाता है। तदानुसार चालू/गैर चालू सम्पत्तियों/उत्तरदायित्वों का वर्गीकरण 12 माह की अवधि का रखा गया है।

12. नगदी प्रवाह विवरण : (एएस–3) अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर नगदी प्रवाह की सूचना दी जाती है, जिससे कर से पहले लाभ/हानि गैर–नगद प्रकृति के लेन–देन एवं कोई आस्थगित अदायगी या अभिवृद्धि, पूर्व या भविष्य की नगद प्राप्तियां या भुगतान के प्रभावों का समायोजन किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कम्पनी के परिचालन, निवेश एवं वित्त पोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह अलग हो जाता है।नगदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए नगद और नगद समतुल्य में नगद बैंक में एवं हाथ में, अत: अल्पकालिक निवेश में तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वत्ता के साथ सम्मिलित होते हैं।

(बी) आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण

आकस्मिक देयताओं का वर्ष के अन्त में तुलन–पत्र पर नोट के द्वारा प्रकटीकरण किया जाता है। वर्ष के अन्त में तुलन–पत्र में वर्णित स्थिति के अनुसार उन देयताएं का प्रावधान किया जाता है जिनका वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कार्यान्वित होने की संभावना है।

(i) कम्पनी के विरूद्ध मांगे जिन्हें कर्ज स्वीकार नहीं किया गया है। विभिन्न राजकीय विभागों (रीको, कस्टम, गृह कर, यू.डी. टैक्स आदि) द्वारा 765.94 लाख रूपये (गत वर्ष में 960.74 लाख रूपये) की मांग की है जो शास्ति/ वसूलियां/ ब्याज इत्यादि से सम्बन्धित है। यह शास्तियां/ वसूलियां/ ब्याज/ आर्थिक किराया/ इत्यादि को अभी तक कर्ज स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि विभिन्न स्तरों पर अपील लम्बित है।

(ii) विभिन्न अदालतों में वाद/मध्यस्था के मामले जो ग्राहकों एवं कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये है, की राशि 129.19 लाख रूपये (गत वर्ष 166.59 लाख रू.)

(iii) मैसर्स साधुराम पटेल एण्ड संस द्वारा निगम के विरूद्ध 3596.96 लाख का दावा दायर किया गया जिसमें जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर शहर द्वारा 314.69 लाख का अवार्ड पारित किया (जिसमें 31.03.2012 तक के ब्याज की राशि रू. 108.52 लाख सम्मिलित है)।

निगम के विरूद्ध साधुराम पटेल एण्ड संस (तत्कालीन हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्टर ठेकदार) द्वारा रूपये 3596.96 लाख का दावा दायर किया जिसके विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (सिटी) द्वारा निगम के विरूद्ध 314.69 लाख (मय ब्याज रू. 108.52 लाख) का क्लेम अवार्ड दिया गया। निगम ने जिला मजिस्ट्रेट जयपुर सिटी के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, जयपुर में अपील दायर की तथा माननीय उच्च न्यायालय ने एक्जीक्यूशन प्रोसिडिंग पर स्थगन आदेश दिया। 314.69 लाख रूपये के दावे का अधिनिर्णय पारित किया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3.9.2008 को अंतरिम राहत आदेश पारित किये कि अपीलार्थी को 2,02,22,423/– रूपये आरबीट्रेटर द्वारा जारी अधिनिर्णय में पारित राशि जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समर्थन किया है, को प्रतिवादी संख्या–1 के हक में जमा करानी होगी इस राशि में से 1,12,51,827/– रूपये सिंडीकेट बैंक को इस आशय के सामान्य वचन–पत्र प्रस्तुत करने पर जमा कराने होंगे, की अगर यह अपील स्वीकार की जाती है तो बैंक उक्त राशि मय 9 प्रतिशत ब्याज की दर से वापिस लौटायेंगे। शेष राशि अपील लम्बित रहने तक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स्ड डिपोजिट के रूप में रखी जायेगी। उक्त आदेश की अनुपालना में निगम द्वारा रूपये 2,02,22,423 जमा किये जा चुके हैं तथा इसे कोर्ट आदेश के विरूद्ध अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। जहां तक अवार्ड में दिये गये ब्याज का प्रश्न है, वह अपील पेडिंग रहने तक स्थगित रहेगा। अत: इसके विरूद्ध कोई दायित्व नहीं दिखाया गया है।

(iv) मैसर्स गणेश कन्टेनर मूवर्स सिंडिकेट (निगम के तत्कालीन हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्टर) मुम्बई द्वारा 522,82 लाख रूपये का दावा दायर किया गया है (100 लाख रू. का हर्जाना एवं क्षतिपूर्ति सम्मिलित है)मैसर्स गणेश कन्टेनर मूवर्स सिडिकेट, मुम्बई द्वारा 522.82 लाख रूपये का दावा जिसमें 100.00 लाख रूपये क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा सम्मिलित हैं। आरबिट्रेटर द्वारा दिनांक 24.04.2019 को आदेश पारित किया है जिसमें 4,18,110/– रूपये मांगकर्त्ता को एवं 58,39,018/– रूपये आर एस आई सी को देय है। आज दिनांक तक कम्पनी के पास कोई सूचना नहीं कि आदेश पर वादी द्वारा कोई आपत्ति/चुनौती दी गई है या नहीं।।

(v) ऐसे ठेकों का अनुमानित मूल्य जिनका पूंजीगत लेखों में से क्रियान्वयन होना है एवं जिसका प्रावधान इस वर्ष किया जाना है : शून्य (गत वर्ष भी शून्य)

(vi) आयकर निर्धारण में अस्वीकृत/अतिरिक्त देय आंकलन के संदर्भ में कम्पनी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील दायार की है। विवाद से सम्बनिधत प्रकरणों में कोई विशेष दायित्व नहीं बनता है।

(vii) विक्रय कर, वेट/सीएसटी की मांग राशि 255.52 लाख रू. (गत वर्ष की राशि 215.16 लाख) की मांग के लिए कम्पनी द्वारा संबंधित प्राधिकारी के यहां अपील दायर की गई है एवं चाहे गए दस्तावेज/सूचनाएं मांग के लिए प्रस्तुत की गई हैं। मांग के विरूद्ध सूचनाएं मांग को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत की गई हैं।

(viii) निगम के पास दिनांक 31 मार्च, 2019 को (गत वर्ष शून्य) कोई मौजूदा बैंक/कारपोरेट गारंटी बकाया नहीं है।

(ix) मैसर्स मैक्स लॉजिस्टिक प्रा.लि. द्वारा रू. 400.46 लाख (रू. 100 लाख व्यापार में हानि का सम्मिलित) का दावा दायर किया गया है। प्रकरण आरबीट्रेटर के समक्ष विचाराधीन है।

(सी) (ए) निगम द्वारा आयातित कच्चा माल, पूर्जों व उपकरण का मूल्य
सी.आई.एफ. के आधार पर किया गया है
वर्तमान वर्ष – शून्य गत वर्ष – शून्य

(बी) आयातित/स्वदेशी कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स और उपभोग किए गए घटकों का विवरण निम्नानुसार है:

	कच्चा माल		पूर्जे एवं स्टोर उपकरण	
वर्तमान वर्ष:	आयातित	स्वदेशी	आयातित	स्वदेशी
कुल उपयोग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रतिशत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गत वर्ष:				
कुल उपयोग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रतिशत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(सी) सामान के विक्रय द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित की गई	वर्तमान वर्ष – 8.43 लाख रूपये		गत वर्ष – 18.90 लाख रूपये	
(डी) विदेशी मुद्रा में व्यय	वर्तमान वर्ष – शून्य		गत वर्ष – शून्य	

(डी) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक है, फिर से व्यवस्थित/एकत्रित किया गया है।

(ई) अंकित राशि निकटतम रूपये में की गई है।

(एफ) वर्ष के दौरान मध्यम उद्यमी विकास एक्ट 2006 के अंतर्गत देय तिथि से आपूर्तिकर्त्ताओं को 45 दिवस के अधिक देरी से भुगतान किये जाने पर ब्याज का भुगतान/प्रावधान वर्ष 2018–19 में नहीं किया गया। जिसका विवरण परिशिष्ट 'सी' पर उपलब्ध है।

(जी) इकाईयों के संदर्भ में ऐसे प्रकरण है जिन्हें कम्पनी द्वारा 31.03.2019 तक 30 दिवस से अधिक होने पर भी 100000/– रूपये की देनदारी बकाया है। विवरण परिशिष्ट– 'बी' पर उपलब्ध है।

(एच) आईसीडी भीलवाड़ा और भिवाड़ी में आयात और निर्यात का संचालन वर्ष 2012–13 से (10.04.2012 से) अस्थाई रूप से बंद किया। इसी तरह राजस्थली मुम्बई, डब्ल्यू एस पी और डी.डी.आर.सी. का कार्य भी वर्ष 2018–19 के दौरान अस्थाई रूप से बंद कर रहा।

अंकेक्षण रिपोर्ट
हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के क्रम में
वास्ते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाण्टेन्टस
एफआरएन : 001408सी

डा. आकाश आल्हा	**पी.के. जैन**	**के.के. पाठक**	**उर्मिला राजोरिया**	**सिद्धार्थ बाफना**
मुख्य लेखाधिकारी	कम्पनी सचिव	प्रबन्ध निदेशक	निदेशक	भागीदार
		डीआईएन 08328847	डीआईएन 02903609	एम.नं. 405227
				यूडीआईएस: 19405227एएएबीएस2305

स्थान: जयपुर
दिनांक: 29.08.2019

		31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को
नोट –1' अंश पूंजी		रू.		रू.
अधिकृत 8,50,000 समता अंश प्रत्येक 100 रूपये का निर्गमित		850,00,000		850,00,000
		850,00,000		850,00,000
निर्गमन एवं अभिदत्त एवं परिदत्त		31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को
समता अंश प्रत्येक 100/– रूपये 696403 समता अंश प्रत्येक 100/– रूपये अभिदत्त एवं परिदत्त		696,40,300		696,40,300
		696,40,300		696,40,300
5 प्रतिशत से ज्यादा अंशधारकों की सूची		31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को
अंशधारकों का नाम	अंश संख्या	रखे हुए अंशो का %	अंशों की संख्या	रखे हुए अंशो का %
महामहिम राज्यपाल राजस्थान	664,387	95.40	664,387	95.40

बकाया अंशों का नम्बर किया गया		31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को
विवरण		अंशों की संख्या		अंशों की संख्या
वर्ष के प्रारम्भ में समता अंश		6,96,403		6,96,403
जोड़िये : वर्ष के दौरान अंशों का निर्गमन		–		–
वर्ष के अंत में समता अंश	6,96,403			6,96,403

कम्पनी के पास एकल समता अंश प्रत्येक 100/– रू. का है। प्रत्येक अंशधारक उसके स्वामित्व के अनुपात में अंश के अनुरूप वोट के लिए योग्य है। कम्पनी की तरलता की स्थिति में समता शेष शेयरधारकों को समस्त अनुपातिक राशि बंटवारे के बाद बची हुई सम्पत्ति को प्राप्त करने का अधिकार होगा। समता शेयर धारकों को उनके द्वारा धारित समता शेयर्स के अनुपात में वितरण होगा।

CIN : U91110RJ1961SGC001118

राशि रू. में

नोट- '2' संचय एवं अतिरेक		31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को
पूंजी सम्पत्तियां (राज्य से अनुदान)				
(ए) स्थिर सम्पत्तियों के विक्रय से	43,67,245		43,67,245	
गत वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार				
जोड़िये (+) घटाइये (-) वर्ष के दौरान		43,67,245		43,67,245
(बी) परिक्रामी निधि				
गत वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार	278,54,000		278,54,000	
जोड़िये (+) घटाइये (-) वर्ष के दौरान		278,54,000		278,54,000
(सी) आस्थिगित अनुदान (अविग्रहित सम्पत्तियों के लिए)				
गत वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार (टिप्पणी: 2 (ए)	851,57,390		906,49,856	
जोड़िये (+) वर्ष के दौरान			12,925	
	851,57,390		876,83,437	
घटाइये : ऋण शोधन परिसम्पत्तियों पर	22,31,890		25,17,644	
घटाइये : अनुदान से बनाई गई परिसम्पत्तिया		829,25,500	8,403	851,57,390
लाभ हानि खाते में अतिरेक				
गत वर्ष तुलन-पत्र के अनुसार	(2450,83,729)		(2927,68,674)	
जोड़िये (+) घटाइये (-) वर्ष के दौरान	(96,97,841)	(2547,81,570)	476,84,945	(2450,83,729)
		(1396,34,825)		(1277,05,094)

नोट– '3' अचल दायित्व			31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को
3.1	दीर्घावधि ऋण (अप्रत्याभूति)		रू.		रू.
	अप्रत्याभूति ऋण				
	ए) वीआरएस स्कीम के लिए (2003–04) (नोट सं. 3 (ए)	433,44,000		433,44,000	
	बी) वीआरएस स्कीम के लिए (2003–04) (नोट सं. 3 (ए)	342,24,744		319,57,664	
			775,68,744		753,01,664
3.2	अन्य ऋण और सावधि देयताएं (असुरक्षित)				
	प्रतिभूति जमा		403,82,930		415,09,537
	स्टॉफ के लिए प्रतिभूति जमा		67,242		66,742
			404,50,172		415,76,279
3.3	दीर्घावधि प्रावधान				
	स्टेट रेन्यूवल फण्ड (नोट सं. 3 (बी)		85,92,000		85,92,000
	अवकश नगदीकरण हेतु प्रावधान		181,79,635		230,61,249
	कुल		267,71,635		316,53,249

3 (ए) 26.07.2018 को आयोजित स्टेट रेन्यूवल फण्ड (एसआरएफ) के प्रबंधन की बैठक के आधार पर, आरएसआईसी के प्रबंधन ने ऋण रुपये को पुनर्वर्गीकृत किया है। 566.77 लाख (रू. 433.44 लाख + रू. 133.33 लाख) और ब्याज उपार्जन और के कारण। रू. 2,08,91,744/ – एसआरएफ पर वित्तीय वर्ष 2018–19 तक दीर्घकालीन उधार के रूप में एसआरएफ को देय प्रबन्धन की राय में यह ऋण प्रतिवेदन तिथि से 12 माह के भीतर आर एस आई सी द्वारा देय नहीं होगा।

3 (बी) 26.07.2018 एवं 29.03.2019 को आयोजित स्टेट रेन्यूल फण्ड (एस आर एफ) के प्रबन्धन की बैठक के आधार पर, आर एस आई सी के प्रबन्धन की राय में देय योगदान प्रतिवेदन तिथि से 12 माह के भीतर आर एस आई सी द्वारा देय नहीं होगा एवं इन्हें दीर्घकालीन प्रावधान के रूप में वर्गीकरण किया है। चालू वर्ष के योगदान को लघु अवधि प्रावधान माना गया है।

नोट– '4' चल दायित्व			31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को
			रू.		रू.
4.1	लघु अवधि ऋण (अप्रत्याभूत)				
4.2	व्यापारिक देयताएं (नोट सं. 4(सी)				
	लेनदारों द्वारा माल की आपूर्ति		27,37,095		530,28,600
	एमएसएमई को देय		366,03,492		641,08,545
	अन्य को देय		880,89,913		97866,237
			1274,30,500		2150,03,382
4.3	अन्य चालू दायित्व ब्याज अर्जित हुआ,				
	लेकिन एसआरएफ ऋण के कारण नहीं	4,82,299		4,82,299	
	अर्जित ब्याज एवं बकाया (नोट सं.4 (ए)	3,99,854		3,99,854	
	अनुदान (वापसी योग्य)	119,53,204		139,32,509	
	कर्मचारियों को पीएफ देय	8,07,633		11,64,113	
	वेट/सीएसटी देय	65,994		66,775	
	टीडीएस देय	5,35,200		11,26,027	
	एलआईसी देय	40,447		50,239	
	सर्विस टैक्स देय	44,867		56,366	
	जीएसडी पर टीडीएस	4,86,175		–	
	अन्य आधारभूत देय बकाया	1,13,857		1,85,889	
	देय ग्रेच्यूटी (नोट सं. 4 (बी)	12,72,200		12,72,200	
	मांग/आदेश के विरूद्ध अग्रिम	284,16,841		1483,39,413	
	अज्ञात प्राप्तियां	7,48,922		8,70,578	
	निलम्बय	91	453,67,586	91	1679,46,353
	दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता (नोट सं; –4 (डी)				
	राजस्थान सरकार से				
	ए) राजस्थली नई दिल्ली के लिए (नोट सं. 4 (डी)(i)	75,00,000		75,00,000	
	बी) कोयला प्राप्ति के लिए (नोट सं. 4 (डी)(ii)	–		77,00,000	
	सी) फ्लेटेड फैक्ट्री स्थापना के लिए (नोट सं. 4 (डी)(iii)	–		850,00,000	
		–	75,00,000		1002,00,000
		–	528,67,586		2681,46,353

4 (ए) रूपये 3,99,854/– पुरानी ब्याज देयता से संबंधित है और अंश रिवेन्यू पर बकाया है जिसके बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है एवं इसका प्रमाणीकरण नहीं हुआ है।

4 (बी) रूपये 12,72,200/– सेवा से पृथक किये गये कर्मचारियों को दी जाने वाली गेच्यूटी से संबंधित है।

4 (सी) विविध ऋणदाताओं/ बकाया देयता के शेष पुष्टीकरण एवं मिलान होने पर है। इसमें कुछ पुराने/असंबंधित शेष लम्बित है जिनका पुष्टिकरण/ मिलान/ समाधान होना है। इन राशियों के समायोजन पर निर्णय अंतिम मिलान/पुष्टिकरण/समाधान होने पर लिया जायेगा। आर एम एवं आई सी डी जोधपुर कार्यालय के लेनदान को देय राशि का मुख्य खातों से मिलान नहीं किया गया है। शेष अन्तर को उचंती खातों में दर्शाया गया है।

4 (डी 1) राज्य सरकार और स्टेट रेनुअल फण्ड से प्राप्त अप्रत्याभूत ऋण रूपये 75,00,000/– में निम्नानुसार राशि सम्मिलित है जो भुगतान के एक वर्ष पश्चात् से देय है :

असुरक्षित अवधि ऋण रूपये 75,00,000/– बिना ब्याज के (रूपये 25,00,000 दिनांक 26.03.2011 और रूपये 25,00,000 दिनांक 26.03.2012 व 25,00,000 दिनांक 26.03.2013 को भुगतान योग्य)

4 (डी 2) असुरक्षित अवधि ऋण रूपये 77,00,000/– बिना ब्याज के दिनांक 22.10.2018 को भुगतान योग्य

4 (डी 3) वर्ष 2015–16 के दौरान बाईस गोदाम एरिया में फेलेटेड फैक्टरी कॉम्पलेक्स की स्थापना हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 850 लाख रूपये का सुलभ ऋण आदेश क्रमांक पी(3) उद्योग/ग्रुप–2/2007/03 दिनांक 09.12.15 द्वारा स्वीकृत किया गया परन्तु परियोजना को होने योग्य नहीं माना, अत: राजस्थान सरकार ने पत्र क्रमांक प.7(3)उद्योग /2/2015 दिनांक 10.05.2018 के द्वारा 850 लाख रूपये का ऋण लौटाने हेतु निर्णय लिया जिसे दिनांक 28.05.2018 को लौटाया गया।

4.4	लघु अवधि प्रावधान	31 मार्च 2019 का		31 मार्च 2018 को	
		रू.		रू.	
	कर्मचारी कल्याण का प्रावधान बोनस	25,703		42,959	
	कर्मचारियों का पारिश्रमिक	50,24,783		59,82,140	
	ग्रेच्यूटी का प्रावधान (नोट सं.– 4 (एफ)	399,48,048		386,91,048	
	अवकाश नगदीकरण के लिए प्रावधान	72,01,050	521,99,584	119,68,498	566,84,645
	किराया (नोट सं. 4 (जी)	49,06,862		46,33,956	
	अंकेक्षण शुल्क	73,000		68,500	
	बिजली व पानी	3,82,932		5,41,423	
	दूरभाष	44,222		1,53,821	
	आयकर का प्रावधान (नोट सं. 4 एच)	40,01,369		40,01,369	
	कस्टम कोस्ट वसूली (नोट सं. 4 (आई)	597,16,610		569,93,825	
	आईसीडी ऑपरेशन व्यय (नोट सं.4 (जे)	240,14,444		236,99,735	
	यूडी कर एवं लीज किराया (नोट सं.4 (के)	70,53,385		66,50,258	
	यूडी कर एवं लीज किराया ब्याज	76,12,638		63,36,867	

	आर्थिककिराया	20,48,996		17,52,502	
	नवीनीकरण व्यय	67,83,073		63,41,193	
	हैण्डलिंग ट्रांसपोर्टेशन व्यय व कोल	10,23,809		10,23,809	
	सीएचओ को प्रोत्साहन	3,71,409		8,69,553	
	राज्य नवीनीकरण फण्ड (नोट सं. 4 (1)	5,00,000		-	
	विज्ञापन एवं प्रचार	1,63,663		64,355	
	प्रदर्शनी व्यय	2,60,597		61,80,388	
	देर से पुर्नभुगतान पर ब्याज का प्रावधान	-		-	
	अन्य प्रावधान	25,92,037	1215,49,047	20,14,094	1213,24,848
			1737,48,631		1780,09,493

4 (एफ) आरएसआईसी कर्मचारियों को पूर्ण ग्रेच्यूटी भुगतान के लिए एलआईसी जिम्मेदार होगी। एलआईसी के मांग पत्र के अनुसार पिछली सेवाओं के लिए गेच्यूटी की वर्तमान राशि 484.85 लाख है जिसमें दिनांक 31.03.2019 को निगम फण्ड का मूल्य 85.37 लाख रूपये है एवं 399.48 लाख रू. का प्रावधान शेष देय कोष में किया गया।

4 (जी) चालू वर्ष के लिये किराये का प्रावधान 2,54,906/- है एवं गत वर्षों की शेष राशि 46,51,956/- है।

4 (एच) चालू देयताओं के मद में राशि 40.01 लाख रूपये दर्शायी गयी है जो पिछले वर्षों के आयकर प्रावधान के रूप में मिलान होना शेष है। अंतिम निपटारे के प्रयत्न किये जा रहे हैं एवं यदि परिणाम पर कोई असर होगा तो अंतिम पुष्टि के वर्ष में खातों में लेखांकित कर दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त, कर, शुल्क एवं लम्बित कर निर्धारण/अपील/पुर्नयाचिका/संदर्भित एवं मांग के लम्बित प्रकरणों का वित्तीय भार अंतिम निर्धारण/निर्णय के समय किया जायेगा।

4 (आई) चालू वर्ष में कस्टम की लागत की वसूली के लिए 27,22,785/- रूपये का प्रावधान एवं पूर्व वर्षों का शेष 5,69,93,825/- रू. का प्रावधान।

4 (जे) चालू वर्ष के लिए आईसीडी/एसीसी परिचालन व्यय के लिए 26,68,977/- रूपये का प्रावधान एवं गत वर्षों का शेष 2,13,45,467/-रूपये है।

4 (के) आईसीडी भिवाड़ी के सम्बद्ध में चालू वर्ष में लीज का किराया, यूडी टैक्स में शामिल, रूपये 4,03,127/- एवं चालू वर्ष के लिए यूडी कर पर ब्याज रूपये 7,98,458/- है।

4 (एल) स्टेट रिन्यूवल फण्ड के अंशदान के लिए चालू वर्ष रूपये 5,00,000/- का प्रावधान किया गया है ।

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

31 मार्च, 2019 को सम्पत्ति संयत्र एवं उपकरण

मूर्त सम्पत्तियां

नोट 5

विवरण	कुल सम्पत्तियां				मूल्यह्रास					शुद्ध कुल सम्पत्तियां	
	31.03.2018 तक	वृद्धि	विक्रय/ कटौती	31.03.2019 की स्थिति	31.03.2018 तक	वर्ष के लिए	वृद्धि	कटौती	कुल	31.03.2019 को	31.03.2018 को
भूमि (पट्टे पर)	113389812			113389812	17421777	1121072			18542849	94846963	95968035
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	2397083			2397083	0	0			0	2397083	2397083
भवन	161408631			161408631	67857314	4555949			72413263	88995368	93551317
संयत्र एवं उपकरण	4689019			4689019	4357308	60039			4417347	271672	331711
पंखे एवं अन्य सामान	5282550			5282550	4642188	165725			4807913	474637	640362
अन्य कार्यालय का सामान	32408501	942462	2712356	30638607	31329741	769595		2641291	29458045	1180562	1078760
फर्नीचर एवं फिक्सचर	16612339			16612339	15682833	240556			15923389	688950	929506
वाहन	2591997		488845	2103152	1590644	309977		475737	1424884	678268	1001353
कुल योग (ए)	338779932	942462	3201201	3365211193	142881805	7222913		3117028	146987690	189533505	195898127
कार्य प्रगति पर				0	0				0	0	0
पूर्व के वर्ष की राशि	338979937	1884924	200005	340664856	135140288	7931368		189851	142881805	197783051	203839649

भूमि एवं भवन की राशि 1534.34 लाख रूपये (गत वर्ष 1534.34 लाख रूपये) को लेखांकन टाईटल डीड के औपचारिक हस्तान्तरण के अधीन किया गया है क्योंकि यह कम्पनी के कब्जे में है एवं उपयोग में आ रहा है। भवन के मद में दशाई गई 0.61 लाख की राशि में भूमि के मूल्य का पता नहीं किया जा सका।

मूल्यह्रास एवं ऋणमुक्ति		
विवरण	2018–19	2017–18
मूल्यह्रास एवं ऋणमुक्ति जो लाभ एवं हानि का प्रभार	4991023	5413724
मूल्यह्रास एवं ऋणमुक्ति जो सम्पत्ति कोष का प्रभार	2231890	2517644
कुल	7222913	7931368

	अचल सम्पत्तियां		रू.		रू.
नोट– 6 अचल विनियोजन			31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को
	अंश में विनियोजन (नॉन ट्रेड)				
(ए)	अखिल भारतीय हाथकर्घा वस्त्र सहकारी समिति लि. का एक इक्विटी शेयर (पूर्णतया परिदत्त) 1000/– रू. का		1,000		1,000
(बी)	ओबेराय हॉल्डिंग प्रा.लि. कलकत्ता के 18000 ''बी'' इक्विटी शेयर प्रत्येक 10/– रू. का		1,80,000		1,80,000
(सी)	100 इक्विटी शेयर्स (पूर्णतया परिदत्त) 1000/– रूपये का राजस्थान कन्सलटेन्सी आर्गेनाईजेशन लि. जयपुर को		1,00,000		1,00,000
(डी)	500 इक्विटी शेयर्स प्रत्येक 1000/– का (पूर्णतया परिदत्त) राजस्थान का स्टेट हाथकर्घा विकास निगम लि. जयपुर	5,00,000		5,00,000	
	घटाईये : मूल्यह्रास का प्रावधान	(5,00,000)		(5,00,000)	
(ई)	514 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10/– रू. का इंडिया एक्सपोसिजन मार्ट लिमिटेड़, नोयडा (यू.पी.)		5,140		5,140
			2,86,140		2,86,140

6 (ए) लेखा मानक 13 के अनुसार राजस्थान हैण्डलूम विकास निगम लि. जयपुर में किये गये निवेश के मूल्य रूपये 5.00 लाख में 100 प्रतिशत कम कर दिया गया है क्योंकि इस निवेश में मूल्य में स्थाई कमी की गई है।

6 (बी) निर्विवाद निवेश की कुल राशि 7,86,140/– रूपये है एवं गत वर्ष में 7,86,140/– रूपये है। निवेश के मूल्य में कमी 500000/– एवं पूर्व वर्ष में 600000/– रूपये।

नोट सं. – 7 दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम (अप्रत्याशित एवं विचार योग्य माल)		31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को
		रू.		रू.
(ए) अग्रिम पूंजी पूंजीगत माल के लिए अग्रिम अप्रत्याशित एवं विचार योग्य माल	41,48,150	41,48,150	41,48,150	41,48,150
(बी) प्रतिभूति राशि जमा (अप्रत्याशित एवं विचार योग्य माल)				
टेलीफोन का जमा	1,97,206		1,96,831	
विद्युत का जमा	15,51,078		15,53,078	
अन्य जमा	4,92,788	22,41,072	4,76,658	22,26,567
		63,89,222		63,74,717

7 (ए) मैसर्स आर एस आर डी सी सी लिमिटेड और ए वी एल को विभिन्न निर्माण कार्यों के अनुबन्ध के रूप में अग्रिम राशि 41,48,150/– रू. दी गई राशि में पूंजीगत अग्रिम भी सम्मिलित है, जिसका निगम के खातों से मिलान किया जाना शेष है। अंतिम निपटारे के समय वह अचल सम्पत्तियों अन्य संबंधित खातों को प्रभावित करेंगी एवं अंतिम निपटारे के पश्चात् अचल सम्पत्तियां/अन्य संबंधित खातों में डेबिट/क्रेडिट किया जायेगा।

नोट सं.–8 अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति		31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को
		रू.		रू.
अन्य		–		–

नोट सं. – 9 चालू सम्पत्तियां		31 मार्च 2019 का		31 मार्च 2018 को
		रू.		रू.
9.1 वस्तुसूची (जैसाकि प्रबन्धन द्वारा सत्यापित, मूल्यांकित एवं प्रमाणित किया)				
कच्चा माल	78,152		78,152	
कार्य प्रगति पर	66,622		66,622	
तैयार माल	43,62,712		519,59,709	
भंडार और उपभोग्य	1,00,127	46,07,614	1,00,127	522,04,610
		46,07,614		522,04,610

9 (ए) रूपये 0.21 लाख का माल व्यापार संकन्ध में सम्मिलित है। (गत वर्ष रूपये 0.21 लाख) जो अन्य के पास पड़ा है, जिसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। यह पुष्टि के अधीन है।

9 (बी) वर्ष 2001–02 एवं उसके पश्चात् के दौरान हस्तशिल्पियों को निर्गमित कपड़ा छपाई हेतु दिया गया था जिसका मूल्य 0.20 लाख (गत वर्ष 0.26 लाख) व समायोजन के लिए लम्बित है।

9 (सी) एएस–2 के अनतर्गत हाथीदांत का तैयार सामान राशि 54943/– को स्टॉक में सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि हाथीदांत के विक्रय को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है इसलिये यह विक्रय योग्य नहीं है।

9 (डी) पिछले वर्षों में स्टॉक की कमी की विचाराधीन जांच में सामान का मूल्य कुल राशि रूपये 2,24,301/– (गत वर्ष 2,24,301/–) को तैयार माल में शामिल नहीं किया गया है।

(राशि रूपयों में)

9.2	व्यापार प्राप्तियां (असुरक्षित)		31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को
	(असुरक्षित, अच्छा माना गया जब तक अन्यथा वर्णित)				
	अच्छा समझा गया				
	6 महिने से अधिक की अवधि के लिए बकाया अन्य		76,56,289		63,88,043
	संदिग्ध समझा गया बकाया	231,36,585	–	232,64,674	–
	घटाईये : प्रावधान	(231,36,585)	–	(232,59,781)	–
	अन्य (हायर पर्चेज ऋणी)	70,673		70,673	
	घटाईये : प्रावधान	(70,673)	76,56,289	(70,673)	63,88,043

9(ई) व्यापार प्राप्तियां पुष्टि और मिलान के अधीन है। इनमें कुछ पुराने/अनलंकृत शेष सम्मिलित हैं जिनका पुष्टिकरण, मिलान/समाधान होना शेष है। इनका समायोजन अगर कोई है तो उसे अंतिम मिलान/पुष्टिकरण/समाधान के पश्चात् किया जायेगा। कच्चे माल एवं आई सी डी जोधपुर के देनदारों की देय राशि का मुख्य लेखों में मिलान नहीं किया जाता है। अगर समायोजन/पुष्टि/निपटारे के समय कोई भी समायोजन किया जावेगा। आर एम/आई.सी.डी. जोधपुर के लेनदारों का शेष लाभ खाता के साथ मेल नहीं खाता है।

9(एफ) किराया खरीद योजना के अन्तर्गत आपूर्ति की गई मशीनरी जो किरायेदार के यहां स्थापित है, का मूल्य, स्टॉक के रूप में दर्शाया नहीं गया है जबकि उसका स्वामित्व कम्पनी का है। हालांकि 70,673/– रूपये इसे संदिग्ध मानते हुए प्रावधान किया गया है।

9.3			2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	नगद और नगद के समकक्ष				(राशि रूपयों में)
	हस्तगत रोकड़ (प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित)	2,81,071		3,26,563	
	बैंक शेष	364,34,089		1860,85,566	
	(बैंक सामजस्य के अधीन)		367,15,160		1864,12,129
	राजकीय पीडी खाता				
	ए) ब्याज विधि	12,25,986		918,16,934	
	बी) ब्याज विधि योग्य नहीं	1,88,000	14,13,986	1,88,000	920,04,934
	90 दिनों तक की एफडीआर	839,78,440		439,69,649	
	90 दिनों से अधिक की एफडीआर	276,40,395		931,44,468	
	12 महिने से अधिक की एफडीआर	–		9,23,424	
	एफडीआर पर जमा ब्याज	12,70,890	1128,89,725	19,36,602	1399,74,143
	स्टॉफ सुरक्षा (अनुसूची बैंक के साथ)	4,95,313	4,95,313	4,196	4,196
			1515,14,184		4183,95,402

9.4			31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को
	अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित, विचारणीय, अन्यथा वर्णित)				(राशि रूपयों में)
	(1) विचारणीय माल (नोट सं. 9(जी)	449,31,218	449,31,218		448,40,994
	(2) संदेहास्पद	176,74,503		176,96,853	
	घटाईये: प्रावधान	176,74,503		176,96,853	
	पूर्वदत्त व्यय		5,44,427		18,90,837
					1,88,985
	अर्जित आय (नोट नं. 9 (एच)	3,27,787	–	3,04,870	
	लगान और शास्ति के अन्तर्गत शास्ति की राशि और पीएफसी का ब्याज (नोट सं. 9 (आई)				
		8,93,665	12,21,452	12,01,650	15,06,520
	सेवाकर और जीएसटी और सेस इनपुट क्रेडिट/ (वापसी मूल्यांकन आदेश के साथ सुलह के अधीन)	12,87,228	12,87,228	13,54,328	13,54,328
	एफबीटी पुर्नभुगतान	1,22,516		1,22,516	
	आयकर पुर्नभुगतान (नोट सं. 9 (आई)	132,08,103	133,30,619	89,67,217	90,89,713
			613,14,944		588,71,397

9 (जी) साधुराम पटेल एण्ड संस के विवाद में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में जिला न्यायाधीश, जयपुर के पास राशि रू. 20222423/– जमा किये गये प्रकरण न्यायालय के अंतिम निर्णय के लिए लम्बित है।

9 (एच) अर्जित आय में किराये की आय एवं माल के हैण्डलिंग शुल्क सम्मिलित है।

9 (आई) वर्ष 2010–11 के लिए कर एवं जुर्माना/ब्याज आपत्ति सहित सेवाकर से संबंधित है एवं भविष्य निधि संस्थान द्वारा लगाया गया जुर्माना एवं ब्याज जिसे आपत्ति सहित जमा कराया गया, पूर्व के वर्षों का है। प्रकरण पर अंतिम निर्णय शेष है।

9 (जे) वापसी योग्य आयकर रूपये 1,32,08,103/– एवं एफबीटी की वापसी योग्य राशि 1,22,516/– पिछले वर्षों से संबंधित है जिसके निर्धारण के कोई आदेश पारित नहीं हुए हैं एवं यह लेखा मिलान के अधीन है।

(राशि रूपयों में)

9.5		31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को
अन्य चालू सम्पत्तियां	–	–	–	–
विचारणीय माल के दावे	–	–	–	–
डीसीएचसी के दावे	2,24,077		5,06,028	
अन्य दावे (नोट सं. 9 (के)	73,16,769	75,40,846	127,01,162	132,07,190
संदिग्ध दावे	15,00,681		15,07,879	
निलम्बनय	57,775		57,775	
	15,58,456	–	15,65,654	–
घटाईये : प्रावधान	15,58,456		15,65,654	
		75,40,846		132,07,190

9 (के) वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित राज्य पुरस्कार समारोह के लिए आरएसआईसी द्वारा राजस्थान सरकार से (वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्त अनुदान रू. 5.96 लाख) अनुदान को व्यय करने के लिए अनुमति चाही है। जिसके लिए अनुमति (स्वीकृति पत्र) अपेक्षित है जो प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2016–17 में राज्य पुरस्कार समारोह में व्यय किये गये रू. 5.96 लाख को ''अन्य क्लेम'' के मद में दर्शाया गया है। दावों के अंतर्गत जीएटी का इनपुट क्रेडिट रू. 6961960/– (83,67,713 – 1705753/– जिसमें 4108681/– रूपये अस्वामिक परिवर्तन के रूप में सम्मिलित) एवं जीएसटी पर टीडीएस के 59100/– रूपये को भी क्लेम के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

लाभ एवं हानि खाते पर टिप्पणी

	विवरण		वर्ष 2019 के अन्त में		वर्ष 2018 के अन्त में
			रू.		रू.
	नोट सं. 10 परिचालन से राजस्व				
	उत्पाद की बिक्री	8316,08,693		12268,55,160	
	घटाईये : एसएसआई छूट	–	8316,08,693	109,82,164	12158,72,996
	सेवाओं की बिक्री :–				
	कमीशन एवं लाईसेंस शुल्क	189,76,095		157,43,825	
	आईसीडी एवं एसीसी हैंडलिंग शुल्क	1232,51,684	1422,27,779	1289,62,994	1447,06,819
			9738,36,472		13605,79,815

	विवरण		वर्ष 2019 के अन्त में रू.		वर्ष 2018 के अन्त में रू.
	नोट सं. 11 अन्य आय				
	गैर ट्रेडिंग निवेश से लाभांश	15,514		10,514	
	किराया से आय (नोट सं. 11 (ए)	167,59,228		357,22,707	
	ब्याज से आय	153,47,051		139,68,191	
	अन्य आय	11,71,481		41,76,520	
			332,93,274		538,77,932
			332,93,274		538,77,932

11 (ए) किराये की आय में आईआईटीएफ 2018 के दौरान आवंटित काउंटरों के लाइसेंस शुल्क/अंशदान से प्राप्त रू. 33.46 लाख किराये की आय में सम्मिलित हैं। (पिछले वर्ष रू. 41,27 लाख आईआईटीएफ 17 एवं रू. 126.05 लाख पीआरयूएचयू 2018 एवं रू. 61.85 लाख उद्योग हस्तशिल्प उत्सव जयपुर से)

			31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को
	नोट-12 प्रयुक्त माल की लागत कच्चा		रू.		रू.
	माल प्रारम्भिक स्टॉक	78,152		78,152	
	जोडिये : भौतिक सत्यापन के दौरान ज्यादा आईटम मिला भौतिक सत्यापन और मूल्य पर चार्ज	–		–	
		78,152		78,152	
	घटाईये : शेष भंडार	78,152	–	78,152	–

(राशि रूपयों में)

	नोट- 13 व्यापारधीन माल का क्रय		वर्ष 2019 के अन्त में		वर्ष 2018 के अन्त में
	खरीददारी	7724,86,465		12236,60,010	
	घटाईये : क्रय वापसी		7724,86,465		12236,60,010
	क्रय (लोहा, इस्पात 6753.63 लाख)		7724,86,465		12236,60,010

(राशि रूपयों में)

	नोट-14 तैयार माल की सूची बदलने के लिए		वर्ष 2019 के अन्त में		वर्ष 2018 के अन्त में
	कार्य में प्रगति				
	प्रारम्भ स्कन्ध	66,622		66,622	
	घटाईये : संवरण स्कन्ध	66,622	–	66,622	–
	व्यापारधीन माल				
	प्रारम्भ स्कन्ध	72,23,403		93,25,036	
	घटाईये : संवरण स्कन्ध	43,62,712		72,23,403	
			28,60,691		21,01,633
	मार्गस्थल माल				
	प्रारम्भ स्कन्ध	447,36,306		218,41,010	
	घटाईये : संवरण स्कन्ध	–	447,36,306	447,36,306	(228,95,296)
			475,96,997		(207,93,663)

(राशि रूपयों में)

	नोट-15 कर्मचारी लागत		वर्ष 2019 के अन्त में		वर्ष 2018 के अन्त में
	वेतन एवं भत्ते (नोट सं. 15 (ए)	510,48,000		494,08,922	
	ग्रेच्यूटी	223,55,189		96,32,991	
	भविष्य निधि	43,10,958		46,48,508	
	अन्य लाभांश (नोट सं. 15 (बी)	13,40,700		19,52,025	
			790,54,847		656,42,446

15 (ए) वेतन एवं भत्ते में प्रबन्ध निदेशक को रू. 26,96,732/– एवं अध्यक्ष को रू. 7,10,145/– अनुदान सहायता में से एवं आरएसआई फण्ड से 1,70,657/– का (गत वर्ष प्रबन्ध निदेशक को रू. 8,19,372/– एवं अध्यक्ष को रू. 8,58,443/– सहायता अनुदान से भुगतान किये गये।

15 (बी) अन्य लाभ जिसमें पेंशन अंशदान, कर्मचारी कल्याण एवं ईडीएलआई और ग्रेच्यूटी पॉलिसी का नवीनीकरण प्रीमियम इत्यादि सम्मिलित हैं।

(राशि रूपयों में)

	नोट-16 वित्तीय लागत		31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को
	बैंक प्रभार	2,17,992		2,31,653	
	आईसीडी भिवाडी पर यूडी टैक्स का ब्याज	7,98,458		2,71,970	
	दीर्घावधि ऋण पर ब्याज	22,67,080		23,00,791	
	अन्य पर ब्याज	1,77,292	34,60,822	703	28,05,117
			34,60,822		28,05,117

(राशि रूपयों में)

	नोट-17 अन्य व्यय		31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को
	विनिर्माण व्यय				
	विनिर्माण व्यय				
	विज्ञापन व्यय	1,99,468		7,09,002	
	पैकिंग और अग्रेषण	3,32,750		3,75,218	
	सीएचए एवं निर्यातक को प्रोत्साहन	38,45,391		63,03,879	
	प्रदर्शनी व्यय (नोट सं. 17 (बी)	-		-	
	अन्य व्यय				
	अन्य व्यय				
	आईसीडी परिचालक व्यय	871,40,923		787,89,102	
	दरें एवं कर	22,69,766		20,74,001	
	विद्युत एवं जल	49,66,827		59,07,974	
	आरओसी फाईलिंग शुल्क	12,400		6,000	
	सदस्यता शुल्क	50,000		83,377	
	कार्यालय व्यय	25,47,680		23,81,056	
	राज्य नवीनीकरण कोष अंशदान	5,00,000		5,00,000	
	यात्रा एवं वाहन व्यय (नोट सं. 17(ए)	3,16,678		3,79,644	
	बीमा	4,88,015		5,80,394	
	प्रिंटिंग, स्टेशनरी एवं पोस्टेज	3,03,356		3,03,677	
	किराया	14,37,039		1405,304	
	मरम्मत एवं रखरखाव	26,77,818		12,67,036	
	टेलीफोन एवं ट्रंककॉल	4,68,495		5,87,360	
	चौकीदारी व्यय	28,21,643		33,04,344	
	विधि एवं सलाहकार शुल्क	17,90,707		15,03,040	
	वाहन व्यय	9,20,160		8,55,079	
	अपलिखित (डुबत ऋण, विविध व्यय)	2,17,033		2,86,035	
	जुर्माना	10,000		-	
	अंकेक्षकों को भुगतान				
	अंकेक्षक को	78,000		68,000	
	कर संबंधी मदों पर	-		-	
	अन्य सेवा	-	1135,01,232	-	1253,59,000
			1135,01,232	-	1253,59,000

17 (ए) यात्रा एवं वाहन व्यय में प्रबन्ध निदेशक को रू. 2649/– एवं अध्यक्ष को रू. 85,538/– अनुदान सहायता से एवं आरएसआई फण्ड से 20070/– रूपये का भुगतान किया गया (गत वर्ष अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक को रू. 16131/– एवं अध्यक्ष को रू. 2,27,732/– सहायता अनुदान से भुगतान किया गया)

17 (बी) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम को 68.38 लाख रू. अनुदान के रूप में राजस्थान सरकार से भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2018, नई दिल्ली के आयोजन के लिए प्राप्त हुये। निगम द्वारा कुल 57.07 लाख रूपये खर्च किया एवं इसी राशि को प्राप्त अनुदान के मुकाबले निर्धारित की गई है। गत वर्ष आरएसआईसी ने जयपुर एवं जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2018 का आयोजन किया गया जिसमें रूपये 176.89 लाख खर्च हुए (103.56 + 73.33) लाख जो प्रदर्शनी व्यय में दिखाया गया है।

नोट – 18 अतिरिक्त प्रावधान/खुदरा शेष प्रतिलेखन 869844/– गत वर्ष 32885328/–

अतिरिक्त प्रावधान प्रकरणों की अपलिखित राशि 210787.55 रू. (गत वर्ष राशि 3,28,85,328/–)। संदिग्ध ऋण के लिए अतिरिक्त प्रावधान रू. 1,52,744/– एवं कर्मचारी पीएफ की ओर 54,840/– रू. अपलिखित। मण्डल की दिनांक 27.08.2018 को आयोजित 350वीं बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में अल्प क्रेडिट शेष रू. 6,59,057/– अपलिखित किये गये। (ऐसे प्रकरण जिसमें पिछले पांच वर्षों से कोई लेनदेन/दावा प्राप्त नहीं हुआ एवं जमा शेष 2000/– रूपये से कम देय था)।

	नोट–19 पूर्व अवधि मद		31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को
	पिछले वर्ष से संबंधित व्यय	10,30,922		2,17,198	
	घटाईये : पिछले वर्ष से संबंधित आय	32,26,310	(21,95,388)	25,99,855	(23,82,657)
			(21,95,388)		(23,82,657)

पूर्व अवधि मद से लाभ रू. 21,95,388/ – बढ़ा है। (गत वर्ष रू. 23,82,657/– बढ़ा था) जनवरी 2015 से फरवरी 2018 की अवधि के दौरान अतिरिक्त/गलत तरीके से ली गई भविष्य निधि पर प्रशासनिक शुल्क रु 3,83,984/– की राशि, जो पिछले वर्षों से संबंधित आय दर्शाई गई थी अब इसे प्रीपेड व्यय के तहत दिखाया गया है एवं इसे आने वाले वर्षों के व्यय में समायोजित किया जाएगा। पिछले वर्षों के टीओडी और कंसीटेन्सी व्यय रूपये 28,42,326/– भी इस वर्ष के खातों में कच्चे माल प्रकोष्ठ में समायोजित किया गया।

	नोट–20 असाधारण आइटम		31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को
	स्थायी सम्पत्तियों के विक्रय से लाभ	70,666	11,98,567	45,847	45,847
	जोडिये : अचल संपत्तियों की प्राप्ति (नोट सं. 20 (ए)	11,27,901		–	
			11,98,567		45,847

20 (ए) वर्ष 2016–17 के दौरान राजस्थान मंडप भवन को भारत व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली को सौंप दिया गया था और इसे ध्वस्त कर दिया गया था। गत वर्ष भवन को आईटीपीओ को सौंप दिया गया एवं आईटीपीओ द्वारा उसे ध्वस्त कर दिया गया। अत: भवन का अंकित मूल्य रू. 11,89,810/– अपलिखित किया गया। इस वर्ष भवन का अवशिष्ट मूल्य रू. 11,27,901/– आईटीपीओ द्वारा आरएसआईसी को प्रेषित किया गया।

	नोट-21 प्रति शेयर पर अर्जित किया (ईपीएस)		31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को
1)	कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि के कथनानुसार		(96,97,841)		476,84,945
2)	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		6,96,403		6,96,403
3)	शेयर के लिए बुनियादी और शुद्ध आय		(13.93)		68.47
4)	अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर		100.00		100.00

नोट 22 संबंधित पार्टी का प्रकटीकरण

ए – कम्पनी के नियंत्रण के साथ संबंधित पार्टी की सूची : शून्य

बी – संबंधित पार्टी का नाम जिससे लेनदेन हुआ व उससे संबंध

संबंधित पार्टी का नाम	संबंध	राशि	भुगतान की प्रकृति
श्री मेघराज लोहिया	अध्यक्ष	8,80,802	वेतन एवं भत्ते
श्री गिरीराज सिंह, आईएएस	प्रबन्ध निदेशक	24,58,396	वेतन एवं भत्ते
श्री सुबोध अग्रवाल, आईएएस	प्रबन्ध निदेशक		
श्री आलोक, आईएएस	अध्यक्ष		
श्री के.के. पाठक, आईएएस	निदेशक		
श्री गौरव गोयल, आईएएस	निदेशक		
श्रीमती शकुन्तला सिंह, आईएएस	प्रबन्ध निदेशक	2,38,336	वेतन एवं भत्ते
श्रीमती उर्मिला राजोरिया, आईएएस	निदेशक		
श्री जगवीर सिंह, आईएएस	निदेशक		
श्री आर.एस. अग्रवाल	सीएस	5,38,125	वेतन एवं भत्ते
श्री बालवीर सिंह	सीएओ	5,38,909	वेतन एवं भत्ते

अंकेक्षण रिर्पोट
हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के क्रम में
वास्ते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाण्टेन्टस
एफआरएन : 001408सी

डा. आकाश आल्हा
मुख्य लेखाधिकारी

पी.के. जैन
कम्पनी सचिव

के.के. पाठक
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 08328847

उर्मिला राजोरिया
निदेशक
डीआईएन 02903609

सिद्धार्थ बाफना
भागीदार
एम.नं. 405227
यूडीआईएस: 19405227एएएबीएस2305

स्थान: जयपुर
दिनांक: 29.08.2019

लेखा मानक – 17 के दिशा सिद्धान्त पर आधारित वृत्त खण्ड : निगम प्रारम्भिक खण्ड

हस्तशिल्प

निर्यात संवर्द्धन सेवायें

वितरण एवं विपणन एम.एस.एम.ई. उत्पाद

संबंधित खण्ड की परिचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर राजस्व और व्यय लेखें आधारित है। राजस्व एवं लेखें जो समस्त व्यवसाय से संबंधित है एवं जिन्हें उचित आधार नहीं होने के कारण किसी खण्ड में निर्धारण योग्य नहीं है, उन्हें 'अनिर्धारित व्यय' में सम्मिलित किया गया है। परिसम्पद एवं दायित्व जो पूरे व्यवसाय से संबंधित है और जिन्हें उचित आधार नहीं होने के कारण किसी खण्ड में निर्धारण योग्य नहीं हैं, उन्हें 'अनिर्धारित परिसम्पत्ति एवं देयताएं' में सम्मिलित किया गया है। विभागीय विभाजन आधार नहीं होने से परिसम्पद दायित्व के अन्तर्गत लिया गया है।

विवरण	हस्तशिल्प		ईआईएस		एमएसएमई उत्पाद का वितरण और विपणन		अन्य		योग	
	2017–18	2018–19	2017–18	2018–19	2017–18	2018–19	2017–18	2018–19	2017–18	2018–19
ब्रिकी एवं सेवा	370.81	363.58	1289.62	1246.63	11945.37	8128.16			13605.8	9738.37
कुल राजस्व	417.08	365.91	1292.48	1252.96	11986.28	8140.45	448.74	312.62	14144.58	10071.94
खण्ड परिणाम	–11.78	22.59	575.38	157.7	95.02	51.88	0	0	658.62	232.17
प्राप्त ब्याज	0.10	0.74	0	0.13	9.44	6.78	130.14	145.82	139.68	153.47
शुद्ध अविनिधानीय							–181.77	–329.15	–181.77	–329.15
आय/व्यय										
शुद्ध हानि/लाभ									476.85	–96.98
वर्तमान कर के लिए प्रावधान									0	0
कर पश्चात् लाभ/हानि								476.85	–96.98	
अविनिधानीय संपत्ति	634.92	584.58	686.55	666.28	788.83	136.22	5405.96	2901.35	7516.26	4288.43
अविनिधानीय दायित्व	546.23	490.24	1218.21	1271.37	3204.06	1120.37	2547.76	1406.45	7516.26	4288.43
पूंजीगत व्यय	–	6.15	0	0.38	–	–	–	2.89	0.00	9.42
ह्रास	14.04	13.57	11.51	10.95	0.01	0.01	28.58	25.38	54.14	49.91

नोट : यहां अन्तर अविनिधानीय बिक्री एवं राजस्व नहीं है।

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
जयपुर

वर्ष के अन्त 31.03.2019 के लिए एकीकृत रोकड प्रवाह विवरण
(अप्रत्यक्ष विधि)

विवरण	आंकडे के रूप में 31 मार्च 2019 (रू.)		आंकडे के रूप में 31 मार्च 2018 (रू.)	
ए. परिचालन कार्यकलाप से नगदी प्रवाह				
कर पश्चात् शुद्ध हानि/लाभ एवं विशेषपद		-96,97,841		476,84,945
समायोजन हेतु :				
प्रावधान	37,10,386		-39,33,711	
ह्रास	49,91,023		54,13,724	
स्थिर परिसम्पद विक्रय से हानि	11,27,901		0	
स्थिर परिसम्पद विक्रय से लाभ	-70,666		-45,847	
प्राप्त ब्याज	153,47,051		-139,68,191	
प्राप्त लाभांश	-15,514		-10,514	
ब्याज भुगतान	32,42,830		25,73,464	
मूल्य ह्रास का प्रावधान डब्ल्यू/बी			-1,00,000	
		283,33,011		-100,71,075
कार्य पूंजी परिवर्तन पूर्व परिचालन लाभ		186,35,169		376,13,870
कार्य पूंजी का समायोजन				
परिसम्पद में वृद्धि/कमी	475,96,997		-207,95,249	
व्यापार प्राप्तियां में वृद्धि/कमी	-12,68,246		-44,47,020	
लघु ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि/कमी	-24,43,547		-6,57,444	
अन्य चल सम्पत्तियों में वृद्धि/कमी	56,66,344		21,88,596	
देय व्यापार वृद्धि/कमी	-875,72,882		821,65,712	
लघु अवधि ऋण में वृद्धि/कमी	0		0	
अन्य चल दायित्वों में वृद्धि/कमी	-2152,78,767		1034,87,125	
लघु अवधि प्रावधान	-128,52,862		-313,56,831	
वर्ष के दौरान क्रेडिट पूंजी संचय		-2661,52,963		1305,84,889
परिचालन कार्यकलाप से शुद्ध नगदी प्रवाह		-2475,17,794		1681,98,759
बी. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
प्राप्त ब्याज	-153,47,051		139,68,191	
प्राप्त लाभांश	15,514		10,514	
स्थिर परिसम्पद क्रय (अनुदान के अलावा)	-9,42,462		0	
स्थिर परिसम्पद विक्रय	-9,73,062		56,001	

कार्य में प्रगति मद में वृद्धि	–		1,68,433	
दीर्घ अवधि के ऋण व अग्रिम में वृद्धि	–14,505		–1,90,056	
अचल संपत्तियों में कमी		–172,61,565	–8,403	140,04,680
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह		–2647,79,359		1822,03,439
सी. वित्त गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
ब्याज का भुगतान	–32,42,830		–25,73,464	
दीर्घ अवधि ऋण	22,67,080		–820,75,000	
लिया गया दीर्घकालिक ऋण का पुनर्भुगतान	–11,26,107		11,61,468	
अंश आवेदन राशि				
अनुदान प्राप्ति	0	–21,01,857	0	–834,86,996
वित्त गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह		–2668,81,216		987,16,443
नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि				
नगद एवं नगद समकक्ष में प्रारम्भिक संतुलन	3243,27,510		1963,01,764	
90 दिनों से अधिक समय तक एफडीआर का प्रारम्भिक संतुलन	931,44,468		1230,50,724	
12 महिने से अधिक एफडीआर के प्रारम्भिक संतुलन	9,23,424	4183,95,402	3,26,471	3196,78,959
90 दिवस की एफडीआर में सम्मिलित नगद एवं नगद समकक्ष	574,46,292		3243,27,510	
90 दिन से अधिक एफडीआर	931,44,368		931,44,468	
12 महिने से अधिक एफडीआर	9,23,424	1515,14,184	9,23,424	4183,95,402
अंतिम बकाया	1515,14,184	1515,14,186	4183,95,402	4183,95,402

अंकेक्षण रिर्पोट
हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के क्रम में
वास्ते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाण्टेन्टस
एफआरएन : 001408सी

डा. आकाश आल्हा
मुख्य लेखाधिकारी

पी.के. जैन
कम्पनी सचिव

के.के. पाठक
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 08328847

उर्मिला राजोरिया
निदेशक
डीआईएन 02903609

सिद्धार्थ बाफना
भागीदार
एम.नं. 405227
यूडीआईएस: 19405227एएएबीएस2305

स्थान: जयपुर
दिनांक: 29.08.2019

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड
जयपुर

परिशिष्ट ''ए''

अनुदान सहायता एवं प्राप्ति के व्यय शुल्क का विवरण

विवरण	31 मार्च 2019 तक के आंकड़े (रू.)	31 मार्च 2018 तक के आंकड़े (रू.)
व्यय		
प्रदर्शनी आयोजन व्यय (आईआईटीएफ 2017-2018)	57,06,804	74,16,127
अध्यक्ष व्यय	18,21,509	28,25,092
योग	75,28,313	102,41,219

अंकेक्षण रिर्पोट
हमारे इसी दिनांक के प्रतिवेदन के क्रम में
वास्ते बाफना एण्ड ऐसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाण्टेन्टस
एफआरएन : 001408सी

डा. आकाश आल्हा	**पी.के. जैन**	**के.के. पाठक**	**उर्मिला राजोरिया**	**सिद्धार्थ बाफना**
मुख्य लेखाधिकारी	कम्पनी सचिव	प्रबन्ध निदेशक	निदेशक	भागीदार
		डीआईएन 08328847	डीआईएन 02903609	एम.नं. 405227
				यूडीआईएस: 19405227एएएबीएस2305

स्थान: जयपुर
दिनांक: 29.08.2019

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–सकीम, जयपुर

इकाई विपणन प्रकोष्ठ

परिशिष्ट–बी

एमएसएमई इकाईयों की सूची जिनके प्रकरण में कम्पनी की 30 दिवस से अधिक अवधि तक 1,00,000 रूपये की बकाया देनदारी रही

क्र.सं.	आपूर्तिकर्त्ता का नाम	देय राशि	देय राशि की दिनांक निर्दिष्ट करें
1.	मैसर्स ए.के. एंटरप्राईजेज, जयपुर	6033740	30.11.17
2.	मैसर्स एशियन सेल्स्	6278003	30.8.2018
3.	मैसर्स गरिमा स्टील	3066715	31.12.17
4.	मैसर्स खण्डेलवाल एंटरप्राईजेज, जयपुर	2516937	31.12.17
5.	मैसर्स महादेव एंटरप्राईजेज, जयपुर	3255987	31.12.17
6.	मैसर्स मोहन ऑयरन वर्क्स, अलवर	4497249	31.12.17
7.	मैसर्स एस.आर.के. सोलनगिरी फर्नीचर कं.	2159472	31.12.17
8.	मैसर्स एस.एस. एंटरप्राईजेज, जयपुर	2486389	31.12.17
9.	मैसर्स क्यायी एंड सन्स, जोधपुर	480666	31.12.17
10.	मैसर्स एवन प्लास्टिक	146395	पूर्व के
11.	मैसर्स दयाल फाउण्डरी एण्ड प्लास्टिक वर्क्स, उदयपुर	201389	पूर्व के
12.	मैसर्स मेहता प्लास्ट कॉरपोरेशन	341592	पूर्व के
13.	मैसर्स पद्मावती पॉलीमर्स, उदयपुर	127649	पूर्व के
14.	मैसर्स रवि इंटरनेशनल, जयपुर	951558	पूर्व के
15.	मैसर्स एस आर के मॉड्यूलर फर्नीचर्स कं. जयपुर	363103	पूर्व के
16.	मैसर्स वेस्टर्न इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	991779	पूर्व के
17.	मैसर्स आर.के. इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	1249037	पूर्व के
	कुल राशि	35147660	

नोट : अवमानक माल की आपूर्ति के कारण उपरोक्त इकाईयों में से क्र.सं. 1 से 8 (8 एमएसएमई इकाईयां) की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर, राजस्थान सरकार के अन्वेषणाधीन है।

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–सकीम, जयपुर

इकाई विपणन प्रकोष्ठ

परिशिष्ट–सी

31.03.2019 तक 45 दिन के पश्चात् जिन एमएसएमई को भुगतान किया/देय हुआ की सूची

क्र.सं.	आपूर्तिकर्त्ता का नाम	राशि	देय राशि की दिनांक निर्दिष्ट करें	दिवस संख्या
1.	ए.के. एंटरप्राईजेज, जयपुर	60,33,740.12	30.11.17	486
2.	एशियन सेल्स्	62,78,003.00	30.8.18	213
3.	गरिमा स्टील इण्डस्ट्रीज	30,66,715.12	31.12.17	455
4.	खण्डेलवाल एंटरप्राईजेज	25,16,937.00	31.12.17	455
5.	महादेव एंटरप्राईजेज	32,55,987.00	31.12.17	455
6.	मोहन ऑयरन वर्क्स	44,97,249.78	31.12.17	455
7.	एसआरके सोलनगिरी प्रा.लि.	21,59,472.26	31.12.17	455
8.	एस.एस. एंटरप्राईजेज	24,86,389.96	31.12.17	455
9.	ए.बी. सर्जिकल	2,160.00	पूर्व के	
10.	आदर्श कुटीर उद्योग	36,329.00	पूर्व के	
11.	एडवांटेज फर्नीचर	52,223.40	पूर्व के	
12.	एग्री इण्डस्ट्रीज इंजी. वर्क्स	2,024.00	पूर्व के	
13.	अल्पना इण्डस्ट्रीज, जयपुर	3,726.25	पूर्व के	
14.	अनमोल इण्डस्ट्रीज	17,848.55	पूर्व के	
15.	अरिहंत प्री फ्रेब्रीक्रेशन	29,790.00	पूर्व के	
16.	अर्जुन पाईप प्रोडेक्टस्	2,337.00	पूर्व के	
17.	अशोक प्लास्टिक	4,990.00	पूर्व के	
18.	एवोन प्लास्टिक	1,46,395.00	पूर्व के	
19.	बैजनाथ अशर्फी	35,456.75	पूर्व के	
20.	भगवती मेटल्स	3,721.23	पूर्व के	
21.	बोहरा प्रतिष्ठान	46,361.47	पूर्व के	

22.	सी कंस्ट्रेक्शन उद्योग	11,861.00	पूर्व के	
23.	केपीटल डाईंग टेन्ट वर्क्स	3,206.25	पूर्व के	
24.	चंचल प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज	13,664.00	पूर्व के	
25.	क्राफ्टमैन सोसायटी, अलवर	9,814.00	पूर्व के	
26.	दयाल फाउण्डरी एण्ड प्लास्टिक वर्क्स उदयपुर	2,01,389.77	पूर्व के	
27.	फतेहपुर सिकरी दरी भण्डार	6,812.74	पूर्व के	
28.	गगन प्लास्टिक	87,286.00	पूर्व के	
29.	जी एम एंटरप्राईजेज, अलवर	18,444.50	पूर्व के	
30.	गोविन्द एंटरप्राईजेज	52,764.20	पूर्व के	
31.	गोविन्द हस्तकर्घा वस्त्र उद्योग	7,520.15	पूर्व के	
32.	हिन्द सेफ कम्पनी जयपुर	4,274.00	पूर्व के	
33.	हिन्द टेक्नो मशीन (प्रा) लि.	3,289.95	पूर्व के	
34.	हिन्दुस्तान इंजी. कं.	2,475.00	पूर्व के	
35.	जय प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज	3,837.00	पूर्व के	
36.	जयपुर पोलिमर्स, जयपुर	6,326.00	पूर्व के	
37.	कान्ता उद्योग	12,073.50	पूर्व के	
38.	कर्नावट एण्ड कम्पनी	16,114.00	पूर्व के	
39.	कर्नावट टरपो जयपुर (सीआर)	89,846.70	पूर्व के	
40.	कर्नावट ट्रेडर्स, जयपुर	86,069.00	पूर्व के	
41.	केसी एण्ड कम्पनी, जोधपुर	6,773.02	पूर्व के	
42.	केसी इण्डस्ट्रीज, जयपुर	6,846.00	पूर्व के	
43.	केसी एण्ड सन्स, जोधपुर	4,80,666.00	पूर्व के	
44.	खण्डेलवाल इंटरनेशनल फ्रेब्रिक्स	25,171.99	पूर्व के	
45.	खण्डेलवाल त्रिपाठी इण्डस्ट्रीज	50,084.00	पूर्व के	
46.	किसान कृषि यंत्र उद्योग, कानपुर	5,610.00	पूर्व के	
47.	कृष्णा इंजी. इण्डस्ट्रीज	77,621.00	पूर्व के	
48.	कृष्णा प्लास्टिक उद्योग	73,672.48	पूर्व के	
49.	कृष्णा उद्योग	6,484.00	पूर्व के	
50.	लक्ष्मी एंटरप्राईजेज	10,445.22	पूर्व के	
51.	मीरा पॉलीमर	43,201.00	पूर्व के	
52.	मेहता प्लास्ट कॉरपोरेशन	3,41,592.19	पूर्व के	
53.	मीनूवल इण्डस्ट्रीज	5,750.90	पूर्व के	

54.	नागर हिन्दी टूल्स कॉपरेटिव नागौर	6,112.00	पूर्व के	
55.	निखिल इंटरनेशनल	43,946.30	पूर्व के	
56.	नॉवल्टी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, जयपुर	9,781.80	पूर्व के	
57.	पैकिंग एण्ड पैकिंग इण्डस्ट्रीज, जयपुर	4,467.00	पूर्व के	
58.	पद्मावती पॉलीमर्स	77,324.60	पूर्व के	
59.	पद्मावती पॉलीमर्स, उदयपुर	1,27,649.60	पूर्व के	
60.	पालीवाल स्टील, कोटा	6,632.00	पूर्व के	
61.	पारस पॉलीफेब	92,350.26	पूर्व के	
62.	पटेल सीमेंट उद्योग	7,841.00	पूर्व के	
63.	प्लास्टोमेट	6,237.90	पूर्व के	
64.	पॉलीमर प्लास्टिक प्रोडेक्टस्, कोटा	27,037.60	पूर्व के	
65.	राजस्थान एजेन्सीज	17,469.00	पूर्व के	
66.	राजस्थान प्लास्टिक (प्रा) लि.	9,036.55	पूर्व के	
67.	राजस्थान स्पून पाईप	19,877.00	पूर्व के	
68.	रवि इंटरनेशनल, जयपुर	9,51,558.80	पूर्व के	
69.	ऋषि स्पून पाईप	22,381.00	पूर्व के	
70.	आर.के. इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	12,49,037.16	पूर्व के	
71.	रोहिल्या इण्डस्ट्रीज	2,762.00	पूर्व के	
72.	शाह कंटेनर उद्योग	2,535.50	पूर्व के	
73.	सजल एंटरप्रिनर	3,397.00	पूर्व के	
74.	एसजीजी जन	3,128.00	पूर्व के	
75.	श्रीनाथ इण्डस्ट्रीज जयपुर	68,635.14	पूर्व के	
76.	सिंघल स्टील	4,449.00	पूर्व के	
77.	एसआरके मॉड्यूलर फर्नीचर कं. जयपुर	3,63,103.98	पूर्व के	
78.	स्ट्रांग स्टील	3,272.55	पूर्व के	
79.	सुधीर ट्रेडिंग कं.	11,888.13	पूर्व के	
80.	सुमीर इंजीनियरिंग वर्क्स	3,822.40	पूर्व के	
81.	सूरज इण्डस्ट्रीज	2,687.00	पूर्व के	
82.	तिरूपति प्लास्मेट	5,889.50	पूर्व के	
83.	उत्तम उद्योग	8,561.00	पूर्व के	
84.	वेस्टर्न इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	9,91,779.44	पूर्व के	
	योग	366,03,492.66		

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
जयपुर

वित्तय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 का व्यापार लाभ व हानि का इकाईवार तुलनात्मक विवरण

(आंकड़े लाखों में)

	इकाई का नाम	कारोबार						लाभ एवं हानि के बाद विनियोग	
		2017–18			2018–19				
		निगम बिक्री, कमीशन, लाईसेंस फीस	कनसाईनमेंट बिक्री	कुल	निगम बिक्री, कमीशन, लाईसेंस फीस	कनसाईनमेंट बिक्री	कुल	2017–18	2018–19
	ए. हस्तशिल्प								
1.	राजस्थली नई दिल्ली	130.67	245.12	375.79	120.34	219.02	339.36	39.17	51.21
2.	राजस्थली कोलकाता	62.07	68.3	130.37	67.87	71.21	139.08	3.58	3.74
3.	राजस्थली जयपुर	164.51	122.2	286.71	158.83	139.76	298.59	(40.15)	(21.62)
4.	राजस्थली उदयपुर	13.57	12.37	25.94	16.44	10.45	26.89	(9.44)	(7.66)
5.	डी.डी.आर.सी. जयपुर							(4.94)	(3.08)
	योग (ए)	370.82	447.99	818.81	363.48	440.44	803.92	(11.78)	22.59
	बी. ई.आई.एस.								
6.	एयर कार्गो, सांगानेर	444.48	0	444.48	320.49	0	320.49	300.09	201.51
7.	आई.सी.डी. सांगानेर	29.55	0	29.55		0	0.00	(29.45)	(27.39)
8.	आई.सी.डी. जोधपुर	815.6	0	815.60	926.23	0	926.23	15.22	15.08
9.	आई.सी.डी. भिवाडी	0	0	0.00	0	0	0.00	(14.28)	(24.63)
10.	आई.सी.डी. भीलवाडा	0	0	0.00	0	0	0.00	(7.90)	(6.87)
	लीज रेंट के अतिरिक्त परावधान और आईसीडी भिवडी के वर्ष 2001–17 के लिए इसका ब्याज वापस लिखा								311.70
	योग (बी)	1289.63	0	1289.63	1246.72	0	1246.72	575.38	157.70
	सी. वितरण / विपणन								
	(ए) कच्चा माल	9788.71	0	9788.71	7218.06	0	7218.06	27.94	25.33
	(बी) विपणन शाखा	2156.62		2156.62	910.1		910.1	67.08	26.55
	योग (सी)	11945.33	–	11945.33	8128.16	0	8128.16	95.02	51.88
	डी. मुख्यालय (व्यय–आय) आईआईटीएफ एवं जोधपुर प्रदर्शनी सहित							(181.77)	(329.15)
	योग (डी)								
	कुल योग (ए+ बी+ सी+ डी)	13605.78	447.99	14053.77	9738.36	440.44	10178.80	476.85	(96.98)

संख्या /No. सी.ए.डब्ल्यू.।/वा.ले./आरएसआईसी/2018-19/के-710/डी-1315

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान
जनपथ, जयपुर-302005

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (ECONOMIC & REVENUE SECTOR AUDIT) RAJASTHAN
JANPATH, JAIPUR-302005

दिनांक / **Date : 20-09-2019**

प्रबन्ध निदेशक,
दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर

विषय : दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

मुझे कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6) के अंतर्गत कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6)(b) के अधीन समीक्षा न करने का प्रमाण-पत्र (नॉन रिव्यू सर्टिफिकेट) जारी करने का निर्देश हुआ है।

उपरोक्त अवधि के वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सात प्रतियां जैसी कि साधारण सभा में रखी जावें तथा स्वीकृत की जावें, कृपया इस कार्यक्रम को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उपमहालेखाकार
(आर्थिक क्षेत्र लेखा परीक्षा-I)

Phone : 0141-2385431-39 Fax.: 91-0141-2385230 E-mail : agauRajasthan2@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (B) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019

The preparation of financial statements of The Rajasthan Small Industries Corporation Limited for the year ended 31 March 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on indeoendent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 27 August 2019.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of The Rajasthan Small Industries Corporation Limited for the year ended 31 March 2019 under Section 143(6)(a) of the Act.

For and on the behalf of
the Comptroller and Auditor General of India

(Anadi Misra)
Accountant General
(Economic & Revenue Sector Audit)
Rajasthan, Jaipur

Place:- Jaipur
Date:- 20-09-2019

फार्म सं. एमजीटी-11

प्रतिपूर्ति फार्म

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार

सीआईएन	:	यू 91110 आर जे 1961एसजीसी 001118
कम्पनी का नाम	:	दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय	:	उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

सदस्य का नाम	:	
पंजीकृत पता	:	
ई-मेल आईडी	:	
फोल्यो सं./ग्राहक आईडी	:	
डीपीआईडी	:	

मैं/हम उपरोक्त कम्पनी के सदस्य है तथा .... अंशधारित करते है, एतद् नियुक्त करते हैं:-

1. नाम.. पता ....ई-मेल आईडी .... हस्ताक्षर .... या इनकी अनुपस्थिति पर

2. नाम.. पता ....ई-मेल आईडी .... हस्ताक्षर .... या इनकी अनुपस्थिति पर

मेरे/हमारे प्रतिपूर्ति के रूप में, कम्पनी के .... को .... बजे आयोजित 58वीं वार्षिक साधारण सभा में तथा उसके किसी स्थगन पर, मेरे/हमारे स्थान पर उपस्थित होने एवं मेरे/हमारे स्थान पर मत देने (मतदान की अवस्था में) के लिए, नीचे दर्शाये प्रस्तावों के संबंध में:

प्रस्ताव संख्या

1. दिनांक 31.03.2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के लेखा परीक्षा वित्तीय विवरणों एवं उस पर निदेशक मण्डल एवं लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन को प्राप्त करना, विचार करना एवं स्वीकार करना।
2. श्रीमती उर्मिला राजोरिया (डीआईएन 02903609) जो क्रमिक रूप से सेवानिवृत्त हुई एवं पुर्ननियुक्ति हेतु योग्य, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति।
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वैधानिक अंकेक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करना।
4. श्री गौरव गोयल (डीआईएन 06447437) को नियमित निदेशक नियुक्त करना।
5. श्री अजय असवाल (डीआईएन 08465756) को नियमित निदेशक नियुक्त करना।

हस्ताक्षरित दिनांक .... सन् 2019

रेवेन्यू स्टाम्प
लगाएं

अंशधारक के हस्ताक्षरक

प्रतिपूर्तिधारक के हस्ताक्षर

नोटः 1. इस प्रतिपूर्ति फार्म को प्रभावी बनाने के लिए पूरी तरह भरकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा के प्रारम्भ होने से 48 घंटे पूर्व जमा कराया जाना चाहिए।

2. प्रस्ताव, व्याख्यात्मक कथन एवं टिप्पणी के लिए 58वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना का संदर्भ लें।

दि राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005
फोन : 0141-2227079 फैक्स : 0141-2227257
वेब साइट : www.industries.rajasthan.gov.in/rajsico, E-mail : rajsico@rajasthan.gov.in
CIN : U91110RJ1961SGC001118

उपस्थिति पर्ची

कृपया उपस्थिति पर्ची को भरें तथा इसे बैठक स्थल के प्रवेश द्वार पर दें।

डीपी आईडी ✻	
सदस्य की आईडी ✻	

फोलियो नम्बर	
धारित अंशों की संख्या	

- मैं सत्यापित करता हूं कि मैं कम्पनी का एक सदस्य/सदस्य का प्रतिपूर्ति हूं।
- मैं आरएसआईसी लिमिटेड की 58वीं वार्षिक आम सभा जो .... 2019 को

.... को .... जयुपर पर आयोजित हो रही है, में उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं।

सदस्य/प्रतिपूर्ति का नाम (बड़े अक्षरों में) **सदस्य/प्रतिपूर्ति के हस्ताक्षर**

✻ निवेशक जो इलेक्ट्रोनिक व्यवस्था में अंशधारक है पर प्रभावी